कुरुक्षेत्र

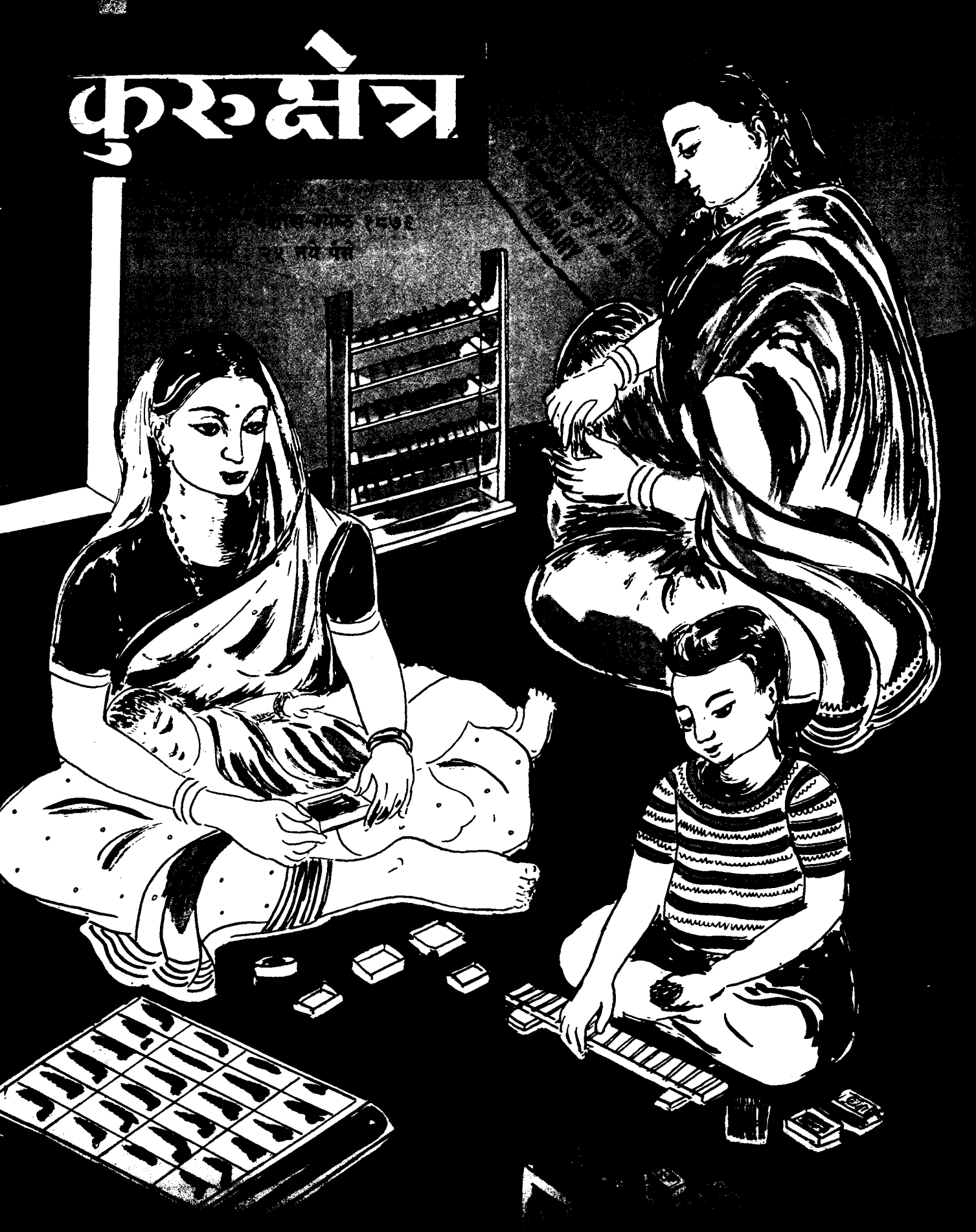

ग्राम सेवक

सामुदायिक विकास-मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 'ग्राम सेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १.२५ रुपये : एक प्रति १५ नये पैसे

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ४.०० रुपये : एक प्रति ३५ नये पैसे

कुरुक्षेत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं।

वार्षिक मूल्य २.५० रुपये : एक प्रति २५ नये पैसे

आकाशवाणी प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'आकाशवाणी प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। गेट-अप सुन्दर।

वार्षिक मूल्य २.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ६.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रटेरिएट, दिल्ली-८

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास मन्त्रालय का मासिक मुखपत्र

वर्ष २] मई १९५७ : वैशाख-ज्येष्ठ १८७९ [अंक ७

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार : आर० सारंगन]

मसूरी सम्मेलन

सामुदायिक विकास की प्रगति	**सुरेन्द्रकुमार दे**	२
औद्योगिक विकास और कृषि-उत्पादन	**वी० टी० कृष्णमाचारी**	५
मसूरी सम्मेलन की सिफारिशें—१	...	६
भारत की महान् सफलता	...	८
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों का स्थान	**वैकुण्ठलाल मेहता**	९
सिन्दरी का महत्वपूर्ण कारखाना	...	१२
आचार्य विनोबा भावे से श्रीमती बाउल्स की भेंट	**दामोदरदास मूंदड़ा**	१३
चित्रावली	...	१५-१८
सामुदायिक विकास—२	**शशधरसिंह**	१९
एक गाँव में चार बरस—१	**बी० एल० चौधरी**	२२
इन्सान कभी नहीं हारा	**सावित्रीदेवी वर्मा**	२५
कार्यक्रम जाँच संगठन की चौथी रिपोर्ट	...	२७
पटेल के दो शब्द	**नर्मदाप्रसाद लखेरा**	२९
प्रगति के पथ पर	...	३१

सम्पादक :
केशवगोपाल निगम
[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]
उप-सम्पादक : *अशोक*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २.५० रुपये
एक प्रति का मूल्य २५ नये पैसे

विज्ञापन के लिए
बिजनेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली—८ को लिखें।

मसूरी सम्मेलन

सामुदायिक विकास की प्रगति

सुरेन्द्रकुमार दे

जब मैं अपने चारों ओर, और भविष्य पर नज़र डालता हूँ, तो मुझे लगता है कि मानों एक ज़माना खत्म हो गया हो और एक नया ज़माना शुरू हो रहा हो। पाँच वर्ष पूर्व लगभग इन्हीं दिनों प्रधान मन्त्री ने देश के सामने सामुदायिक विकास-कार्यक्रम रखा था। इस काम को पूरा करने की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से विकास आयुक्तों पर डाली गई और उनसे यह आशा की गई कि वे गाँवों की सारी समस्याओं का ध्यान रखेंगे। पाँच साल तक हमने पूरी ईमानदारी और योग्यता से यह काम किया।

इन पाँच सालों में प्रशासन के रंग-ढंग में आमूल परिवर्तन हो गया है। आप लोगों की ही बदौलत लोगों का ध्यान गाँवों की तरफ गया है। जब कभी मैं शीशे में देखता हूँ, तो अपने आपको बदला हुआ पाता हूँ। पाँच साल पहले से अब मैं अपने आपको बिलकुल भिन्न पाता हूँ। और यही बात आप सब पर भी लागू होती है।

अपने अनवरत परिश्रम से हम राज्यों के सरकारी विभागों का दृष्टिकोण बदलने में सफल हुए हैं। अब तक तो वे केवल एक मूक दर्शक के रूप में हमें देखते थे। अब केन्द्र में एक समन्वय समिति बनाई जा चुकी है। खाद्य एवं कृषि मन्त्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। सामुदायिक विकास मन्त्री और कृषि मन्त्री तथा दोनों मन्त्रालयों के अधिकारी इसकी बैठकों में भाग लेते हैं और मिल कर कार्यक्रम बनाते हैं। यह कार्यक्रम योजना आयोग के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इस प्रकार का समन्वय हमारी एक बड़ी सफलता है। केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल मुख्य रूप से गैर-सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य महिला कल्याण है। कुछ दिन पहले हमने इस मण्डल से भी समन्वय की व्यवस्था की थी। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय से भी इस प्रकार समन्वय स्थापित करने के बारे में प्रयत्न जारी हैं।

पिछले पाँच वर्षों में हम बराबर यह आग्रह करते आ रहे हैं कि जन प्रतिनिधि हमारे काम में सक्रिय सहयोग दें। अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो यह जरूरी है कि जनता भी इस कार्यक्रम में उत्साह दिखाए और आगे बढ़े। पर इस विशाल कार्यक्रम की पूरी ज़िम्मेदारी जनता पर नहीं छोड़ी जा सकती। वह तो जनता की संस्थाओं को ही सौंपी जा सकती है। परन्तु हम ऐसी संस्थाएँ तब तक कैसे बना सकते हैं जब तक कि जन-प्रतिनिधि ऐसी संस्थाएँ बनाने में सहयोग न दें? दुर्भाग्यवश जनता के प्रतिनिधियों ने अब तक हमें इस काम में विशेष सहयोग नहीं दिया। एक दूसरे के मत्थे दोष मढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकारी अधिकारियों में कुछ डर की भावना काम कर रही है। उन्हें कुछ गलतफ़हमी है जिसके कारण वे जनता का सहयोग लेने में हिचकिचाते हैं। दूसरी ओर ठीक इसी तरह गैर-सरकारी व्यक्ति भी दिन-प्रति दिन के काम में सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करने में हिचकिचाते हैं। इसका कारण यह है कि इस काम में समय और ध्यान तो काफ़ी देना पड़ता है, पर उसका कोई तुरन्त लाभ दिखाई नहीं देता। यह हमारा सौभाग्य है कि पाँच साल बाद, प्रशासनिक अधिकारी यह अनुभव करने लगे हैं कि जैसे प्रशासन व्यवस्था प्राविधिक अभिकरणों का स्थान नहीं ले सकती, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारी जन-संस्थाओं का स्थान भी नहीं ले सकते। अब यह बात सर्वत्र स्वीकार की जाती है कि जब तक जन संस्थाओं का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक जो सफलता हमने प्राप्त की है, उसे बनाए रखना तथा आगे बढ़ना सम्भव न होगा और जो कुछ सफलता हमने प्राप्त की है, वह भी व्यर्थ जाएगी, ठीक उसी तरह जिस तरह भूतकाल में पिछली सरकार द्वारा किए गए विकास-कार्य व्यर्थ गए थे। इसलिए हमें जन-प्रतिनिधियों को सहयोग के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि जन संस्थाएँ भी अब यह अनुभव करने लगी हैं कि यदि वह आगे न बढ़ीं, तो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

अब मैं आपके सामने कार्यक्रम का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करूँगा।

कृषि

कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत ज्यादा काम किया है, पर कार्य की विशालता को देखते हुए यह कुछ भी नहीं है। भारत के प्रत्येक गाँव में पाँच, छः या सात ऐसे किसान होते हैं जो औसत उपज से तीन या चार गुना अधिक पैदा करते हैं। इतनी अधिक उपज वे कैसे कर लेते हैं ? सीधे-सादे तरीकों से, कड़ी मेहनत से। यदि हम सुधरे हुए नए तरीकों का व्यवहार न भी करें, तो भी यदि सारे किसान उन परिश्रमी किसानों की तरह मेहनत करने लगें, तो कोई वजह नहीं कि हम अपनी पैदावार शत-प्रति शत न बढ़ा लें। यह ठीक है कि पैदावार बढ़ाने का यह काम महज़ उन पाँच-छः उत्साही किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता, भले ही वे अधिक उपज का राज़ दूसरों को प्रसन्नतापूर्वक बताने को तैयार हों।

न तो कृषि मन्त्रालय और न राज्य सरकारें, तुरन्त ही अलादीन के चिराग से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक तैयार कर सकती हैं। हम न्यष्टि बीज तैयार करते हैं पर उनके तैयार करने में भी काफी समय लगता है और उसमें भी प्रकृति का बड़ा हाथ होता है। यही बात टेकनीशियनों पर भी लागू होती है। ज़िलों के मुख्यालयों में पहले कभी टेकनीशियन नहीं रहे। केवल कुछेक जगहें ही ऐसी हैं जहाँ तहसील स्तर पर टेकनीशियन हैं और उसकी सहायता के लिए एक ओवरसियर तथा एक-दो मिस्तरी होते हैं। पर आज भी भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी तक नहीं हैं। हमें तुरन्त ही इतने टेकनीशियन नहीं मिल सकते जिन्हें देश के सब हिस्सों में भेजा सके। कोई भी कृषि मन्त्रालय या उसका कोई विभाग इस काम को तुरन्त पूरा नहीं कर सकता। तो भी इस दिशा में एक शुरूआत की गई है और अब हमें अपने कार्यक्रम के लिए अनुभवी अधिकारी मिलने लगेंगे।

जहाँ तक सिंचाई का सम्बन्ध है, हमारे यहाँ कई बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनाएँ हैं, जिनसे हाल में ही लाभ होने लगा है। कृषि मन्त्रालय की 'अधिक अनाज उपजाओ' योजना के अन्तर्गत देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्डों में बड़ी संख्या में नल कूप बनाए जाने की योजना है। कई जगह तो इन नलकूपों से सिंचाई शुरू भी हो गई है। मैंने कई ऐसे इलाके देखे हैं जहाँ बिजली लग गई है और जहाँ बिजली से नल-कूप चलाए जाते हैं। दूसरे इलाकों के मुकाबले में ये इलाके बहुत समृद्ध प्रतीत होते हैं।

अगली बात है पानी के उपयोग की। पानी का समुचित उपयोग करने की दिशा में अभी कोई कदम नहीं उठाया गया। अब भी पानी बेकार जाता है। हालाँकि दामोदर घाटी, हीराकुड आदि बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनाएं बन गई हैं, फिर भी अभी इस दिशा में हमें बहुत कुछ करना है।

जन-स्वास्थ्य

जहाँ तक जन-स्वास्थ्य का सवाल है, इस दिशा में काफी काम किया जा चुका है। नए दवाखाने और जन-स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं तथा मातृत्व और शिशु-कल्याण केन्द्रों की स्थापना हुई है। पर अब भी इन संस्थाओं को ठीक तरह चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी चाहिएँ। इन कर्मचारियों को हमें अभी विभागीय कर्मचारियों के रूप में भी मान्यता देनी है ताकि विकास खण्डों के भरपूर विकास-कार्यक्रम समाप्त होने पर उन्हें निकालना न पड़े। जैसे ही एक खण्ड में भरपूर विकास-कार्यक्रम समाप्त होता है, वहाँ से डाक्टर हटा दिए जाते हैं। मैंने कुछेक मुख्य संस्थाएँ देखीं जहाँ ऐसा हो चुका था। हालाँकि बाद में यह गलती ठीक कर दी गई, पर यदि शुरू से ही स्वास्थ्य केन्द्रों तथा मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्रों को स्वास्थ्य विभाग के विकास-कार्यक्रम एक अंग मान लिया जाता, तो यह समस्या खड़ी ही न होत। शायद उस समय ऐसा करना इसलिए सम्भव नहीं था क्योंकि सम्भवतः स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पतालों को, जो मुख्यालयों से बहुत दूर थे, अनावश्यक समझता रहा हो। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि उस समय बड़े कस्बों और शहरों में उन की माँग बहुत ज्यादा थी।

गाँवों की संस्थाओं की कुछ अपनी विशेष समस्याएँ होती हैं और यदि विभागों के हाथ में हो, तो वे उन समस्याओं की ओर ध्यान भी न दें। पर अब समय आ गया है जब गाँववालों की सुख-सुविधा का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। चाहे कोई राजनीतिक दल इस कार्यक्रम को पसन्द करे या न करे, यह कार्यक्रम तो रहेगा ही। दुनिया में कोई भी आदमी इस कार्यक्रम को बन्द नहीं कर सकता। गाँववाले अब जाग गए हैं और जब वे जाग जाते हैं, तब अपने अधिकार नहीं भूलते। हमने काफी कुछ किया है, पर सारे देश को देखते हुए यह आटे में नमक के बराबर ही है। अभी तो सारे गाँव ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आए, और जो गाँव आ भी गए हैं, उनके सब परिवार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते; और जो परिवार आते हैं, उनके सब सदस्य इसके अन्तर्गत नहीं आते। इसलिए अभी बहुत विशाल कार्य करना बाकी है।

शिक्षा

शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के लिए २०,००० स्कूल खोले जा चुके हैं। बहुत से स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया गया है। सब स्कूलों में बच्चों को दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए। इस दिशा में श्रीगणेश किया जा चुका है, तथापि अभी काफी काम बाकी है। पर यहाँ भी वही बात है, अब इस काम का सारा भार

विकास आयुक्त नहीं उठा सकता। विभाग को आगे आ कर अपना पूरा उत्तरदायित्व सम्भालना चाहिए।

समाज शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ हमने किया है, उस पर हम उचित रूप से गर्व कर सकते हैं। समाज शिक्षा भारत के लिए एक नया विषय है। पाँच साल पहले समाज शिक्षा का अर्थ केवल "प्रौढ़ साक्षरता" से ही लिया जाता था। पर अब समाज शिक्षा का अर्थ है जनता को नागरिकता की शिक्षा देना और ग्रामीण जीवन के बहुमुखी विकास के बारे में आवश्यक बातें बताना। यह नया विचार भारत में पहली बार पनपा है और शिक्षा मन्त्रालय समाज शिक्षा का एक प्रारम्भिक संस्थान खोल रहा है।

ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योगों के बारे में हमें बहुत कम ज्ञान है। खेती के बारे में हमें मालूम है कि कई किसान आगे बढ़े हैं और उन्होंने नए-नए तरीके अपनाए हैं। हमें यह भी पता है कि कम-से-कम अगले १० या १५ सालों तक हम देश की जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर सकते। पर ग्रामोद्योगों के बारे में मुख्य-सवाल नई तकनीक अपनाने का नहीं है। यह ठीक है कि हमें पुरानी और नई, दोनों तकनीकें अपनानी पड़ेंगी और साथ ही हमें अन्तरिम तकनीकें भी मजबूरन अपनानी पड़ेंगी क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि नए और पुराने के बीच सम्बन्ध बिलकुल ही टूट जाए। इससे देश में रोजगार की स्थिति डाँवाडोल हो सकती है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे ग्रामोद्योगों के कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, यह है कि ग्रामोद्योगों से तैयार माल की बहुत माँग है।

सहकारिता

अभी तक सहकारी समितियाँ केवल ऋण देने का ही काम करती रही हैं। यद्यपि बहूद्देशीय सहकारी समितियों की चर्चा बहुत चलती है, पर वे केवल नाम को ही बहूद्देशीय होती हैं। इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि इन संस्थाओं को कैसे चलाया जाए। इस विषय के बारे में कुछ आधारभूत बातों पर विचार करना जरूरी है। एक विचार यह है कि सहकारी समितियाँ गाँव में बनाने की बजाय उच्चस्तर पर बनाई जाएँ। शायद प्रशासन की दृष्टि से उच्च स्तरीय सहकारी समितियाँ लाभकारी हों। पर जब तक सहकारी संस्थाओं की सदस्य संख्या बहुत बड़ी न हो और जब तक वे सदस्य एक दूसरे को पड़ौसी के रूप में न समझें, तब तक हम सहकारिता को जीवन का एक अंग कैसे बना पाएँगे। यदि सहकारी ढंग से हम केवल व्यापार ही चलाना चाहते हैं, तो ईमानदारी की बात यह होगी कि हम सहकारिता को भूल कर ज्वाएंट स्टाक कम्पनियाँ खोल दें जो लोगों को ऋण भी दें और माल भी। पर यदि हम सहकारिता को जीवन पद्धति का आधार बनाना चाहते हैं, तो हमें इतनी सहकारी समितियाँ खोलनी चाहिएँ कि अधिकतम व्यक्ति उनके सदस्य बन सकें और सहकारिता के जो कुछ फ़ायदे होते हैं, उनसे लाभ उठा सकें।

कला और संस्कृति

हम एक अर्थ-प्रधान समाज का निर्माण करते हुए यह भूल जाते हैं कि कोई भी सभ्यता, कभी रुपए-पैसे पर आधारित नहीं होती। सभ्यता, संस्कृति और कला पर आधारित होती है, रुपया-पैसा उसका एक साधनमात्र होता है, लक्ष्य नहीं। इसलिए कला और संस्कृति पर ध्यान देना ज़रूरी है।

पंचायतें

हम देश में बड़ी संख्या में पंचायतें स्थापित कर रहे हैं। पर गाँवों में पंचायतें तब तक नहीं खोली जा सकतीं, जब तक हम गाँवों में जाति भेद और अन्य भेदभावों को मिटा न दें। पर यह जातपाँत कैसे हटाई जाए? एक फतवा दे कर जातपाँत नहीं हटाई जा सकती। जातिवाद उसी सामन्तवाद का एक रूप है, जिसके कारण अंग्रेज हम पर राज करने में सफल हुए। अब अंग्रेज चले गए हैं और राजा-महाराजा तथा बड़े-बड़े ज़मींदार समाप्त हो चुके हैं। पर इस बात का क्या निश्चय कि सामन्तवादी शासक या सामन्तवाद देश में फिर से अपनी जड़ें नहीं जमा लेगा। संसदीय लोकतन्त्र भारत में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक गाँवों में ही लोकतन्त्र न पनपे।

आज सब लोग यही कहते हैं कि सब गाँववालों को मिल कर पंचायतों में योग देना चाहिए। पर इस बारे में क्या करना चाहिए? आवश्यकता इस बात की है कि टेकनीकल विभागों और गाँवों की जनता में मिल कर आगे बढ़ने की भावना पैदा हो। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने गाँव के लोगों में नेतृत्व पैदा करने के कार्यक्रम बनाए। हमें ऐसे नेता चाहिएँ जो कृषि, पशुपालन, सिंचाई, पंचायतों, ग्रामोद्योगों, मकानों की समस्या स्त्रियों और बच्चों के कार्यक्रमों जन-स्वास्थ्य और शिक्षा, आदि क्षेत्रों में जनता का नेतृत्व कर सकें। प्रत्येक गाँव में पाँच या छः ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो विभिन्न कार्यक्रमों में रुचि लें। युवकों के हम तीन या चार दिन के अलग शिविर लगा सकते हैं। इन शिविरों में दो-तीन मील दूर तक के गाँववाले सुबह आ कर इकट्ठे हो सकते हैं और एक गोष्टी बना कर विचार-विमर्श कर सकते हैं। जो कुछ उन्हें मालूम है, उसे एक दूसरे को बता सकते हैं। इस काम में पैसा भी खर्च नहीं होगा। यदि हम ऐसे शिविर लगा सकें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १,४०,००,००० व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ला सकते हैं। ऐसे शिविरों से वे विशेषज्ञ तो न बन जाएँगे तथापि अपने ज्ञान से खण्ड में नए जीवन का संचार अवश्य कर सकेंगे।

[मसूरी सम्मेलन में दिए गए भाषण का सारांश]

औद्योगिक विकास और कृषि-उत्पादन

वी० टी० कृष्णमाचारी

औद्योगीकरण का कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके साथ-साथ कृषि-उत्पादन बढ़ाने का भी कार्यक्रम न चलाया जाए।

भारत के आर्थिक विकास और पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता में कृषि का विशेष महत्व है। इसलिए राज्य सरकारों को चाहिए कि कृषि-उत्पादन बढ़ानेके लिए वे निम्न बातों पर विशेष ध्यान दें—

(१) पहली योजना में सिंचाई की जो सुविधाएँ दी गईं, उनका अधिक से अधिक उपयोग,

(२) गेहूँ, धान तथा ज्वार के उन क्षेत्रों को राष्ट्रीय विस्तार अथवा सामुदायिक विकास योजना खण्डों में शीघ्र ही शामिल कर दिया जाए, जहाँ अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध हैं, परन्तु जो अभी तक योजनाओं में शामिल नहीं किए गए,

(३) मेड़ बाँधने और भू-रक्षण की योजनाओं के लिए दूसरी योजना में २७ करोड़ रुपए रखे गए हैं। राज्य सरकारों को इन योजनाओं के चलाने में स्थानीय लोगों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिए, ताकि उक्त रकम में ही अधिक से अधिक क्षेत्र में ये काम हो सके, और

(४) ग्रामीण तथा शहरी जीवन को परस्पर मिलाना राष्ट्रीय विस्तार सेवा आन्दोलन का अनिवार्य अंग होना चाहिए।

सहकारी संस्थाएँ

१९५३-५४ से १९५५-५६ तक सहकारी समितियों के कार्य में काफ़ी प्रगति हुई। इन तीन वर्षों में समितियों की संख्या १,११,६२८ से बढ़ कर १,५९,९३९ हो गई। इसी तरह सदस्यों की संख्या ५१ लाख ३० हज़ार से बढ़ कर ७७ लाख ९० हज़ार; कार्यपूंजी ४९ करोड़ १८ लाख रुपए से बढ़ कर ७९ करोड़ १० लाख रुपए, प्राप्त हिस्सा-पूंजी ९ करोड़ ९० लाख रुपए से बढ़ कर १६ करोड़ ८० लाख रुपए और विनियोजन तथा परिसम्पत ८ करोड़ ९० लाख रुपए से बढ़ कर १६ करोड़ ९० लाख रुपए हो गई। यह ध्यान देने योग्य है कि सदस्यता की अपेक्षा हिस्सा-पूंजी, कार्यपूंजी, विनियोजन और परिसम्पत में अधिक वृद्धि हुई। इन तीन वर्षों में सदस्यों, संस्थाओं आदि की अधिकांश वृद्धि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों और सामुदायिक विकास-योजना क्षेत्रों में हुई।

दूसरी योजना में राष्ट्रीय विस्तार सेवा सारे देश में फैला दी जाएगी और इसके लिए खर्च भी बढ़ाया जाएगा। अतः सभी सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान संस्थाओं को बढ़ाने और नई संस्थाएँ खोलने का प्रयत्न करना चाहिए।

योजना आयोग के अनुसार गाँवों का पुनर्गठन पूरा होने के बाद सारा नक्शा ही बदल जाएगा। देश में २,५०,००० आरम्भिक बहूद्देशीय संस्थाएँ और इतनी ही ग्राम पंचायतें हो जाएँगी। प्रत्येक ग्राम संस्था में २०० से ३०० तक सदस्य रहेंगे और इनके हाथ में २०,००० से ३०,००० तक रुपया रहेगा। पंचायतों और आरम्भिक संस्थाओं को परस्पर जोड़ दिया जाएगा। साथ ही संस्थाओं को संगठनों से और फिर क्रय-विक्रय तथा अन्य संस्थाओं और सैण्ट्रल बैंक से जोड़ा जाएगा। दूसरी ओर ग्राम पंचायतों को तालुक या तहसील या ज़िला पंचायत से जोड़ कर राज्य प्रशासन के साथ मिला दिया जाएगा।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा

राष्ट्रीय विस्तार सेवा का ध्येय गाँववालों द्वारा अपने ही प्रयत्न से अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना है। स्वावलम्बन और सहयोग—यही इसका मूलमन्त्र है। निम्नलिखित बातों से समाज में यह परिवर्तन किया जा सकता है—

(१) प्रत्येक परिवार का कृषि-उत्पादन और घरेलू तथा छोटे उद्योगों का अपना कार्यक्रम होना चाहिए,

(२) सामाजिक परिवर्तन के लिए सहकारिता आन्दोलन आवश्यक है। प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सहकारी संस्था का सदस्य होना चाहिए,

(३) समाज के स्थायी लाभ के लिए प्रत्येक परिवार को श्रम अथवा धन अथवा दोनों की सहायता देनी चाहिए, और

(४) प्रत्येक गाँव में स्त्रियों और युवकों को संगठित होना चाहिए।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा कल्याणकारी राज्य का स्थायी आदर्श है और इसी से समाज में परिवर्तन हो सकता है।

[मसूरी सम्मेलन में दिए गए भाषण से]

मसूरी सम्मेलन की सिफ़ारिशें

: १ :

विकास आयुक्तों का एक सम्मेलन २६ से ३० अप्रैल १९५७ तक मसूरी में हुआ। इसका उद्घाटन योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने किया और देश भर से २०० प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। देश के सामुदायिक विकास से सम्बन्धित प्रायः सभी विषयों पर सम्मेलन ने विचार किया और उनके बारे में सिफ़ारिशें कीं। नीचे हम उन्हें संक्षेप में दे रहे हैं—सम्पादक।

कृषि

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम भारत के राष्ट्रीय विकास-कार्यक्रम का ही एक भाग है। खेती की उन्नति से इसका विशेष सम्बन्ध है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह निर्धारित किया गया है कि खेती की पैदावार २५ प्रति शत बढ़ाई जाएगी। इसी के अनुरूप राज्यों की और केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय, सामुदायिक विकास मन्त्रालय तथा सिंचन एवं विद्युत मन्त्रालय की योजनाओं में व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य ने निम्न-लिखित व्यवस्थाओं में भी बड़े पैमाने पर सुधार करने के अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किए हैं—सिंचाई, पानी की निकासी, भूमि संरक्षण, भूमि को फिर से खेती योग्य बनाना, उर्वरकों और स्थानीय खादों का (जिनमें हरी खाद और मिश्रित खादें भी सम्मिलित हैं) प्रयोग, सुधरे हुए बीजों का उपयोग और पौधों की उचित देखभाल।

सम्मेलन ने इस सम्बन्ध में जो सिफ़ारिशें की हैं, वे संक्षेप से इस प्रकार हैं—

जितनी अतिरिक्त पैदावार का लक्ष्य रखा गया है, उसे विभिन्न राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खण्डों और सामुदायिक विकास-खण्डों में बाँट दिया जाए। इन खण्डों के सिंचाई वाले क्षेत्र में ५० प्रति शत उपज बढ़ाई जाए। जिन क्षेत्रों में साल भर की वर्षा का औसत ३० इंच से कम है, वहाँ अगले तीन वर्षों में कम से कम ३० प्रति शत वृद्धि का लक्ष्य रखा जाए। पहले वर्ष में पैदावार में कम से कम २० प्रति शत वृद्धि होनी चाहिए।

खण्ड के प्रत्येक गाँव को अपनी-अपनी कृषि योजना बनानी चाहिए। विभिन्न स्रोतों से जितनी राशि मिले, उससे विभिन्न फसलों की पैदावार के लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ।

किसानों में से ही नेता चुनने के लिए युवक क्लबों का होना आवश्यक है। प्रत्येक ग्राम सेवक के क्षेत्र में कम से कम दो युवक क्लब होने चाहिएँ।

किसानों को खण्डों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहाँ वे हरी खाद और सुधरे हुए औजारों के प्रयोग स्वयं देख सकें।

ठीक तौर-तरीके से और कृषि के सुधरे हुए औजारों का उपयोग कर के वर्ष में आसानी से दो या तीन बार फसल उगाई जा सकती है। इस बात का निर्णय किया जाना चाहिए कि कितनी भूमि में दो या तीन फसलें उगाई जाएँ।

भरपूर खेती के प्रत्येक एकड़ में पंक्ति में बुवाई करने की पद्धति अपनाई जाए।

किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और खेती के बढ़े हुए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बुवाई से काफी पहले ही किसानों को मुख्य-मुख्य फसलों की न्यूनतम कीमतों की गारण्टी दी जाए।

छोटी सिंचाई योजनाएँ

सम्मेलन में इन बातों पर विचार किया गया—सिंचाई की छोटी योजनाओं को यथासम्भव अधिकतम क्षेत्र में फैलाया जाए, सिंचाई के निजी साधन, जैसे कुएँ, नलकूप और छोटे-मोटे बन्ध बनाने को प्रोत्साहन दिया जाए और अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का पूरा उपयोग किया जाए। सिंचाई की छोटी योजनाओं से, बड़ी और मध्यम योजनाओं की अपेक्षा अधिक लाभ पहुँचता है। इसलिए सिंचाई की छोटी, मध्यम और बड़ी योजनाओं के बीच सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। छोटी सिंचाई योजनाओं का सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। ३० सितम्बर १९५६ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत २८ लाख ५० हजार एकड़

अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने लगी। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में सहकारिता के आधार पर छोटी सिंचाई योजनाओं का विकास किया गया।

सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिशें की—

राज्य सरकारें आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करें, कम से कम एक सिंचाई इंजीनियर तो अवश्य हो जो सिंचाई के छोटे साधनों की योजना बनाए और उनकी देखभाल करे तथा विकास आयुक्त के सीधे सम्पर्क में रहे।

जहाँ सम्भव हो, वहाँ सिंचन कोष का ५० प्रति शत सिंचाई की निजी योजनाओं, जैसे कुएँ, नलकूप, पम्प आदि के लिए सुरक्षित रखा जाए। खण्ड के ऋण कोष में से २५ प्रति शत छोटे तालाबों की मरम्मत आदि के लिए रखा जाए।

पशुपालन

पशुपालन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि सारे देश में दूध, माँस और अण्डों का उत्पादन बढ़ाया जाए और खेती के लिए अच्छे बैलों की व्यवस्था की जाए।

सम्मेलन ने इस बारे में जो सिफारिशें कीं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं—

जिन क्षेत्रों में विकास की और अधिक सम्भावनाएँ नहीं हैं, वहाँ विकास कार्य बन्द कर देना चाहिए और बचे हुए धन का शेष क्षेत्रों में प्रयोग किया जाए।

पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें उचित सहायता दी जाए या चारा पैदा करने के लिए या चराई के लिए उन्हें पट्टे पर भूमि दी जाए।

जैसे ही अवसर मिले, पशुसुधार के लिए निर्धारित राशि बढ़ा दी जाए ताकि राष्ट्रीय महत्व का यह काम पीछे न पड़ जाए।

पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रत्येक गाँव में दवाइयों के बक्से की व्यवस्था की जाए। ये बक्से ग्राम पंचायतों में रखे जाएँ। शुरू में इनका व्यय सामुदायिक विकास-योजना भरे, पर बाद में ग्राम-पंचायतें ही यह भार वहन करें।

राज्य के मुख्यालय में वरिष्ठ टेकनीकल अधिकारी रहें जो बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को सम्हालें। विभिन्न विषयों, जैसे मुर्गीपालन, सुअरपालन और भेड़पालन के विशेषज्ञ रखने का समय भी आ गया है।

महिला कार्यक्रम

अतीत काल से ही स्त्रियाँ पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धे मिला कर आजीविका कमाने में सहयोग देती रही हैं। देहाती क्षेत्रों और विशेषतया पिछड़े हुए वर्गों में तो यह बात स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति ने स्त्रियों को ऐसा बनाया है कि वे अपने जीवन की पूर्णता परिवार और बच्चों में ही पाती हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास आन्दोलनों का उद्देश्य राष्ट्र का जीवन स्तर ऊँचा उठाना है। जीवन स्तर ऊँचा उठाने का काम घर से ही शुरू हो सकता है और घर का स्तर केवल स्त्रियाँ ही ऊँचा उठा सकती हैं। इसलिए महिला कार्यक्रम के सम्बन्ध में सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं —

ग्राम सेविकाओं की सहायता के लिए ग्राम लक्ष्मी (गाँव की प्रशिक्षित नारी) का सहयोग प्राप्त किया जाए। उत्तर प्रदेश तथा एक-दो अन्य राज्यों में यह प्रणाली प्रचलित है। अन्य राज्यों में भी इसे अपनाया जाए। महिला संगठनों को गाँवों के अधिकाधिक काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। ग्रामीण महिलाओं के शिविर लगाए जाएँ तथा उनको अध्ययन यात्राओं पर ले जाया जाए ताकि वे अपने कार्यक्रमों में पर्याप्त भाग लें।

प्रशिक्षित महिलाएँ अधिक संख्या में गाँवों में काम करें, इसके लिए आवश्यक है कि देहाती महिलाओं को ही आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए।

देहाती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक संख्या में महिला कार्यकर्त्ता प्राप्त कर सकने के लिए उनकी प्रशिक्षिण क्षमता बढ़ाई जाए।

सहकारिता

कार्यक्रम जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि सहकारिता के अन्तर्गत, सामुदायिक विकास-कार्यक्रम को ये दो कार्य करने हैं— नई समितियों की स्थापना और वर्तमान समितियों को सुदृढ़ करना। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि (क) कृषि साख और सहकारी ढंग से बिक्री में सम्पर्क स्थापित किया जाए, और (ख) कृषि-जन्य पदार्थों के वितरण में सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए निर्देश दिए जाएँ और प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएँ। सम्मेलन की सिफारिशें संक्षेप में इस प्रकार हैं —

प्रत्येक खण्ड में कम से कम एक सहकारी बिक्री समिति होनी चाहिए जिसका अपना एक गोदाम भी हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऋण समिति के पास भी माल जमा रखने की सुविधा होनी चाहिए। इस सिफारिश पर उसी दशा में अमल किया जाए जब पर्याप्त धन उपलब्ध हो। गोदामों का उपयोग बीज, उर्वरक, खेती के औजार आदि तथा पैदावार के रखने में किया जाए।

ऐसे भरपूर विकास खण्डों में, जहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, सहकारिता के आधार पर खेती करने के सम्बन्ध में कदम उठाए जाएँ।

[शेष पृष्ठ २६ पर]

भारत की महान् सफलता

[विभिन्न देशों के सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री हेमरशोल्ड द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से]

भारत ने सामुदायिक विकास-कार्यों के बारे में इतना अधिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लिया है जितना किसी और देश ने इस क्षेत्र में प्राप्त नहीं किया। ये अनुभव और ज्ञान उन समस्याओं को सुलझाने में सहायक होंगे जो विकासोन्मुख देशों के सामने भविष्य में आ सकती हैं।

इस कार्यक्रम के लिए योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति चुनने के कार्य को भारत सरकार बड़ा महत्व देती है।

चार वर्ष पूर्व जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, तब ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देने के केवल २५ केन्द्र थे। १९५५ के अन्त तक इनकी संख्या बढ़ कर ४३ हो गई जिनमें प्रतिवर्ष लगभग ५,००० ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया जाता है। उनके प्रशिक्षण के लिए २७ गृह विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र हैं। ये केन्द्र बहूद्देशीय कार्यकर्त्ताओं के लिए स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों की शाखाओं के रूप में काम कर रहे हैं।

इन केन्द्रों १९५६ में १८ राज्यों की ४०० स्त्रियों को एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण काल में उन्हें जिन विषयों की शिक्षा दी गई, वे इस प्रकार हैं—घरेलू समस्याएँ, भोजन में पौष्टिकता, मातृ-कल्याण, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा सहकारी-कृषि।

भारत में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का महज़ इतना ही उद्देश्य नहीं है कि गाँवों में जनता को पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान तथा स्वास्थ्य एवं सफ़ाई की सुविधाएँ मिलें। इन भौतिक सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण बात है जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और उन्हें समृद्ध तथा सर्वांगीण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना। जनता की कार्यक्षमता बढ़ाना ताकि वह अपनी समस्याएँ खुद हल कर सकें।

भारतीय कार्यक्रम की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ इस आन्दोलन का विस्तार बड़े सुनियोजित ढंग से किया गया है। इस कार्यक्रम को लागू करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं और जो नई-नई समस्याएँ खड़ी होती हैं, उनका हल ढूँढ़ने के लिए बराबर गवेषणा चलती रहती है। कार्यक्रम जांच संगठन एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में सीधे योजना आयोग के अन्तर्गत काम करता है और पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चलनेवाली विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों का स्थान

वैकुण्ठलाल मेहता

पिछले चालीस साल में और विशेष कर दूसरे महायुद्ध के बाद औद्योगीकरण बहुत तेजी से हुआ है। फिर भी यह सच है कि जिस आर्थिक योजना में देश भर में फैले कुटीरोद्योगों के जरिए स्थानीय साधन-सम्पत्ति और बेकार पड़ी हुई अपार श्रम-शक्ति के विकास का इन्तजाम नहीं होगा, वह कम से कम हिन्दुस्तान के लिए तो बिलकुल नाकाफ़ी और अधूरी होगी। इस बारे में बड़े-बड़े आँकड़ा-शास्त्री, अर्थशास्त्री, शासक और राजनीतिज्ञ एकमत हैं। प्लानिंग कमीशन ने इस दृष्टिकोण का जो समर्थन किया, उसके पहले ही हिन्दुस्तान के संविधान में उसे मंजूर कर लिया गया था।

लोग समझ गए कि उद्योगों की बहुत तरक्की होने पर भी लोगों के रहन-सहन के स्तर में खास सुधार नहीं हुआ और न गरीबों को ही खास राहत मिली जिसकी हमने बड़ी-बड़ी उम्मीदें की थीं। बहुत लोग बिलकुल बेकार बैठे हैं, और उनसे भी ज्यादा लोगों को दिन में कुछ वक्त या साल में कुछ ही दिन काम मिलता है। ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती गई है। खास कर औद्योगीकरण के असर से देहाती हुनर और उद्योगों की अवनति हुई और खेती पर निर्भर रहनेवालों की तादाद निरन्तर अधिक रही है। दूसरी ओर कुछ स्थानीय प्राकृतिक उपजें व्यर्थ बरबाद हो रही हैं और कुछ का इस्तेमाल इस ढंग से हो रहा है कि उपभोक्ता को, जो ज्यादातर गाँवों में ही बसते हैं, तैयार माल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है।

इन नग्न सचाइयों ने हमारे मन में यह बात अच्छी तरह बिठा दी कि देहाती उद्योग और दस्तकारियों को व्यवस्थित और संगठित तौर पर बढ़ावा देना निहायत जरूरी है। इसका दोहरा मकसद है। पहला और सीधा मकसद है काम करने लायक लोगों को, जहाँ तक हो सके, अपने गाँव के पास ही और नहीं तो अपने पेशे के केन्द्र के पास ही, आंशिक या पूरे समय का रोजगार दिलाना। दूसरा मकसद ऐसा इन्तजाम करना है कि उत्पादक लोग अपनी माली हालत सुधारने के लिए संगठित हों, ताकि उन्हें अपनी मेहनत का पूरा मुनाफा हासिल हो और उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिले। इसलिए यह जरूरी है कि ग्रामोद्योगों और दस्तकारियों का नया संगठन और विस्तार सहकारी बुनियाद पर ज्यादा से ज्यादा हो। उत्पादन-कार्य का तो विकेन्द्रीकरण होना ही चाहिए। पर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज़ यह है कि नियन्त्रण और अधिकार का भी विकेन्द्रीकरण हो।

वैसे यह कोई नई योजना या नया कार्यक्रम नहीं है। चालीस बरस पहले महात्मा गान्धी ने जो राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू किया था, यह उसी को विस्तृत, विकसित और पुरज़ोर बनाने का प्रयत्न है। उस समय गान्धी जी ने कहा था—"मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हाथ-कताई और हाथ-बुनाई से ही देश के माली और नैतिक पुनरुद्धार को सबसे ज्यादा मदद मिलने वाली है।" कुटीर उद्योगों की तरक्की के कार्यक्रम में सबसे अहम स्थान कपड़े के उत्पादन को मिलेगा। मनुष्य की जरूरतों में खाने के बाद ही कपड़े का नम्बर आता है। हमारे यहाँ आजकल जितने लोग सब कारखानों में मिल कर काम करते हैं, लगभग उतने ही लोगों का रोजगार अकेले हाथ-करघे की बुनाई से चलता है। हाथ-कताई का काम ऐसा है, जो हमारे देश के ऐसे हर गाँव में, जहाँ कपास उपजती हो, सीधे-सादे साधनों द्वारा हो सकता है और कताई की मशीन की ईजाद होने के पहले भी होता था। जब मौका हुआ, कात-बुन लिया और दूसरा काम आ गया तो बन्द कर दिया। हाल में सुधरा हुआ एक चरखा ईजाद हुआ है जो अम्बर चरखा कहलाता है। इस नए चरखे पर ज्यादा मात्रा में और ज्यादा अच्छा सूत काता जा सकता है। हाथ-कताई का सूत मिलने से बुनकर लगातार काम कर सकते हैं। उन्हें सूत के लिए कपड़ा-मिलों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। संक्षेप में खादी कार्यक्रम की, जिसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है, यही बुनियाद है।

दूसरे ग्रामोद्योगों के लिए भी प्रोग्राम बनाया गया है। अभी धान, दूसरे अनाज, तिलहन आदि की कुटाई, दलाई या पेराई का काम या तो गाँव के बाहर होता है या गाँव में बने हुए ऐसे कारखानों में होता है, जिनके मालिकों का मकसद पैसा कमाना है, गाँव की सेवा करना नहीं। जापान में यह कार्य स्थानीय समाज के हित की दृष्टि से गाँव में ही कराया जाता है। गेहूँ की पिसाई, धान की हाथ-कुटाई, घानी तेल, गुड़-खाण्डसारी आदि के कार्यक्रमों के औचित्य का यह एक पहलू है।

दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। वह यह है कि हाथ से कूटे व पीसे गए भोजन-पदार्थों में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। मिलों में प्रोसेस होने की वजह से कुछ चीजों के विटामिन और कुछ के खनिज तत्व जाते रहते हैं। पालिश किए गए चावल से बेरी बेरी जैसी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। फिर पालिश करने

१—एक जुलाहा और उसका हथकरघा। २—घानी से तेल निकालने का प्रदर्शन। ३—कुम्हार अपने चाक पर बर्तन बनाता हुआ। ४—बम्बई के एक गाँव में एक महिला फलों की टोकरी बनाती हुई।

से भूसी के साथ जो चावल नष्ट हो जाता है, उसकी मात्रा भी कम नहीं होती। साबित गेहूँ के आटे की रोटी सफेद (मैदेदार) आटे की रोटी से ज्यादा अच्छी होती है। गुड़ में कई उपयोगी तत्व होते हैं, जो सफेद चीनी में नहीं होते।

इस कार्यक्रम में, जिसका उद्देश्य बरबाद जानेवाली वस्तुओं से उपयोगी चीजें तैयार करना है, दो बातें बहुत महत्व की हैं।

एक है सब तरह के ताड़ वृक्षों से मीठा रस याने 'नीरा' निकालना। ताजा नीरा बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय होता है। इससे ताड़-गुड़ भी तैयार किया जा सकता है। पुराने ज़माने में यह उद्योग बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित था। पर ताड़ी पीने की आदत ज्यादा बढ़ने से इस उद्योग को बड़ा धक्का पहुँचा। किन्तु अब देश में शराब बन्दी के क्षेत्र के क्रमिक विस्तार और नशीली चीजों पर प्रतिबन्ध के साथ-साथ यह परिस्थिति बदल रही है। अब नीरा निकालने के लिए हजारों पेड़ मिल सकेंगे। यह रस पीने के काम आएगा या इससे नियन्त्रित परिस्थितियों में गुड़ तैयार किया जा सकता है। शराबबन्दी की वजह से जो कुछ लोग बेकार हो गए हैं, उन्हें इस उद्योग में काम मिलेगा। इसके अलावा इससे सारे राष्ट्र की आय और सम्पत्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि इस प्रकार मुल्क के बरबाद होनेवाले साधनों का उपयोग होगा।

इतने ही महत्व की एक और चीज़ है अखाद्य तेलहन से साबुन बनाने का काम। साबुन बनाने में मूंगफली, दूसरे तेलहन और खोपरे का इस्तेमाल बढ़ जाने से लोगों को खाने के लिए कम तेल मिलने लगा है। गान्धी जी के ग्रामोद्योग कार्यक्रम में एक बात यह भी थी कि गांव में मिलनेवाले अखाद्य बीजों के तेल से कुटीर उद्योग में साबुन बनाया जाए। ये बीज देश भर में बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इनके सैकड़ों पेड़ सब जगह अपने आप उगते हैं।

शहरों और गाँवों में हर दिन काम आने वाली एक चीज़, यानी दियासलाई भी इसी तरह तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कुटीरोद्योग तौर पर बाँस और कागज के पुट्ठों (लुगदी) के डिब्बों से दियासलाई का निर्माण शुरू किया गया है। इसका तरीका भी इतना आसान है कि अपढ़ और अकुशल मजदूर भी यह काम अच्छी तरह कर सकते हैं। इस प्रकार तैयार होनेवाले साबुन और दियासलाई बड़े कारखानों में बनी हुई इन्हीं चीजों से सस्ती होती हैं और गुण में भी वे उनसे घटिया नहीं होतीं।

यह सूची पूरी नहीं है। जिसमें सब चीजें आ जाएँ, ऐसी सूची बनाई भी नहीं जा सकती क्योंकि हमारे परम्परागत घरेलू धन्धों के लिए मिल सकनेवाले सामान और आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे सारे देश में चमड़ा कमाया और तैयार किया जाता है और देश के सभी हिस्सों में इस चमड़े से चीजें बनाई जाती हैं। पर खाल उतारने आदि के तरीके पुराने हैं जिसके कारण बहुमूल्य सामग्री नष्ट हो जाती है। इस कार्यक्रम का एक अंग सुधरे हुए तरीकों को चलाना है। फिर कुम्हार का हुनर है। यह देश में सब जगह चलता है। उससे काम की चीजें भी बनती हैं, सजावट की चीजें भी। इसी तरह कई प्रकार के रेशेदार पौधे अपने आप उग आते हैं। इनके रेशों से काम की और सजावट की चीजें तैयार की जा सकती हैं। अगर शुरू में बढ़ावा और टेकनीकल पथप्रदर्शन मिल जाए तो यह काम लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है। देश में खूब जंगल और बाग-बगीचे हैं, जिनमें शौकिया तौर पर ही नहीं, बल्कि आमदनी बढ़ाने के लिए भी मधु-मक्खी पालन किया जा सकता है। इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने व इन्हें सुधरे हुए तरीकों से करने का कार्यक्रम ग्रामोद्योगों के लिए स्वीकृत योजनाओं के अनुसार लागू किया जा रहा है।

अखिल भारत दस्तकारी मण्डल

इन उद्योगों और ऐसे दूसरे उद्योगों की तरक्की करना अखिल भारत खादी-ग्रामोद्योग मण्डल का कार्य है। दस्तकारियाँ और कलात्मक हुनरों के विकास का काम अखिल भारत दस्तकारी मण्डल (हैण्डीक्राफ्ट्स बोर्ड) नाम की संस्था को सौंपा गया है। रेशम, नारियल के रेशे और हाथ-करघे की बुनाई के लिए अलग मण्डल हैं। इस ढंग की विशेष संस्थाओं में सबसे अन्त में कायम हुआ है लघु उद्योग मण्डल। उसके काम का क्षेत्र कुछ अलग है। पर देश में जो शहरीकरण चल रहा है, उसकी दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। सब मण्डलों के कार्यक्रमों के लिए योजना कमीशन ने २०० करोड़ रुपए तय किए हैं। ऊपर जिक्र किए गए अम्बर चरखे की मदद से हाथ-बुना कपड़ा तैयार कराने के कार्यक्रम के लिए कर्ज के तौर पर या दूसरे ढंग से आवश्यक रकमें दी जा सकती हैं, वे इस २०० करोड़ में शरीक नहीं हैं।

कुछ लोग आर्थिक योजना में ग्रामोद्योगों को जगह इसलिए देना चाहते हैं कि उससे बेकारी दूर होगी। पर आर्थिक संगठन का मतलब है मनुष्य की शक्ति और क्षमता का पूरा-पूरा इस्तेमाल हो और उन्हें व्यर्थ न जाने दिया जाए। योजना का भी यही मतलब है कि सब साधनों और सामान का किफायत के साथ पूरा-पूरा लाभ उठाया जाए। फिर आज के समाज की अधिकांश समस्याओं की जड़ यह है कि इन्सान कार्य-जीवन में अपना ठीक स्थान नहीं बना पाते। वे मशीन के पुरजे ही बन जाते हैं। एक लेखक ने ठीक ही कहा है—'समाज-सुधार का असली तत्व दुनिया को यह कबूल करा देना है कि व्यक्ति-व्यक्ति के काम-धन्धे का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए गान्धी जी मानते थे कि भारत के आर्थिक ही नहीं, बल्कि नैतिक पुनरुद्धार के लिए व्यक्तिगत और शारीरिक श्रम अनिवार्य है जिसका प्रतीक है हाथ-कताई।'

[आकाशवाणी बम्बई से प्रसारित भाषण का संक्षिप्त रूप]

सिन्दरी का महत्वपूर्ण कारखाना

दूसरी पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य है कि खेतों में खूब उर्वरक और खाद दे कर अनाज की पैदावार को २० प्रति शत, अर्थात् २५ लाख टन बढ़ाया जाए। उर्वरकों का उत्पादन और उपयोग बढ़ाने से ही यह लक्ष्य पूरा हो सकता है।

इस दृष्टि से सिन्दरी उर्वरक कारखाने का विशेष महत्व है। भारत में इस समय ६,१०,००० टन उर्वरकों का उपयोग होता है। इसका आधे से भी अधिक इसी कारखाने में बनता है। उर्वरकों की बिक्री और खपत १९३८-३९ की तुलना में सात गुनी और १९४६-४७ की तुलना में तीन गुनी हो गई है।

सिन्दरी कारखाना १९५१ के अक्तूबर मास में चालू हुआ था। शुरू में यहाँ प्रति दिन केवल ३१ टन अमोनियम सल्फेट तैयार होता था। पिछले पाँच वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन निरन्तर बढ़ता गया है। नीचे वृद्धि के आँकड़े दिए गए हैं—

वर्ष	अमोनियम सल्फेट का उत्पादन (टनों में)
१९५१	७,४४५
१९५२	१,७२,५१९
१९५३	२,६५,६०२
१९५४	२,७५,५२९
१९५५	३,२१,३६४
१९५६	३,३१,७२५

१९५६ में उत्पादन का लक्ष्य ३,३०,००० टन था। पर उत्पादन इस लक्ष्य से भी अधिक हुआ। इस साल प्रति दिन औसतन ९०६ टन अमोनियम सल्फेट तैयार हुआ। कारखाने की क्षमता प्रतिदिन ९६० टन उत्पादन करने की है।

सिन्दरी कोयले की भट्टी से प्रति दिन १ करोड़ घन फुट गैस उपलब्ध होती है। इस गैस से प्रति दिन ७० टन यूरिआ और ४०० टन डबल साल्ट बनाने का इरादा है। इस योजना पर ११ करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। १९५८ तक यह योजना पूरी होगी। तब सिन्दरी की क्षमता ६० प्रति शत बढ़ जाएगी।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना देश में विशाल मूल-रसायन उद्योग का आधार है। कारखाने का विशाल बिजलीघर ८०,००० किलोवाट बिजली तैयार कर सकता है। अपनी मशीनों और बनावट में यह कारखाना संसार के किसी भी रसायन कारखाने से टक्कर ले सकता है। उर्वरक के अलावा सिन्दरी में और भी उप-पदार्थ बनते हैं जैसे, बेंजोल बेन्जीन, टोलुइन, नेप्था आदि।

सिन्दरी कारखाना अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से निर्मित एक अत्यन्त उपयोगी सार्वजनिक उद्योग है।

आचार्य विनोबा भावे से श्रीमती बाउल्स की भेंट

दामोदरदास मूंदड़ा

भारत में पिछले अमेरिकी राजदूत की धर्मपत्नी श्रीमती चैस्टर बाउल्स जनवरी के अन्तिम सप्ताह में विनोबा जी से मिलने आईं। इङ्गलैण्ड और अमेरिका में भूदान कोष के सम्बन्ध में जो अपील निकाली गई है, उसके हस्ताक्षरकर्त्ताओं में श्रीमती बाउल्स भी हैं। सबसे पहले उन्होंने विनोबा जी से इस बात के लिए क्षमा माँगी कि मेरे पति आप से मिलने न आ सके। उन्होंने यह भी बताया कि श्री चैस्टर बाउल्स इस बात से अत्यन्त प्रसन्न हैं कि भूदान आन्दोलन आगे बढ़ता जा रहा है और ग्रामदान भी होने लगे हैं।

श्रीमती बाउल्स ने विनोबा जी से पूछा कि क्या सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत गाँवों ने कुछ प्रगति की है? विनोबा जी ने उत्तर दिया—"उन्होंने अपने ढंग से सफलता प्राप्त की है पर असली प्रगति तभी हो सकती है जब गरीबी की समस्या हल हो जाए। अभी मैंने सामुदायिक विकास-योजना के श्री दे से इस बारे में बातचीत की थी। वह भी इस बात को मानते हैं कि इन विविध योजनाओं से गरीब और ज़रूरतमन्द लोगों को विशेष मदद नहीं मिल सकती। गरीबों तक किस तरह पहुँचा जाए, यही समस्या है।"

"आप इस समस्या का क्या हल सुझाते हैं?" श्रीमती बाउल्स ने विनोबा जी से पूछा।

"मेरा हल तो यह है कि इतनी विस्तृत कल्याण योजनाएँ शुरू करने से पहले ग्रामदान होने चाहिएँ।" विनोबा जी ने बताया कि मदुरई के विकास अधिकारी अब ग्रामदान आन्दोलन के विस्तार में रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि वे समझ गए हैं कि इससे उनके कल्याण-कार्यों में मदद मिलती है।

श्रीमती बाउल्स के सचिव श्री हैरिस ने पूछा—"क्या पश्चिमी देशों की समस्याएँ भी भूदान से हल की जा सकती हैं?"

विनोबा जी ने जवाब दिया—"जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, भूदान सकल विश्व के लिए उपयोगी है। क्या मैंने यह नहीं कहा कि आस्ट्रेलिया को चाहिए कि वह अपने देश में खाली पड़ी भूमि पर बसने के लिए जापानियों का स्वागत करे। भूदान का उद्देश्य विश्व की समस्याओं को हल करना है और उसे किस तरह अपनाया जाए, इसका पता लगाया जा सकता है।"

"पर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ कच्चा माल बहुत मिलता है जबकि अन्य देश प्राकृतिक सम्पदा में समृद्ध हैं। क्या उनमें भी खुली अदलाबदली का सिद्धान्त अपनाया जा सकता है?" श्रीमती बाउल्स ने प्रश्न किया।

विनोबा जी ने जवाब दिया—"निश्चय ही। कच्चे माल और

आचार्य विनोबा भावे

प्राकृतिक सम्पदा की भी खुली अदलाबदली होनी चाहिए। तथापि जीवनोपयोगी वस्तुएँ स्थानीय तौर पर गाँवों में ही बनाई जानी चाहिएँ। शेष वस्तुओं के बारे में अदलाबदली होनी चाहिए।"

चीन और इज़रायल के सहकारिता आन्दोलनों की चर्चा करते हुए श्री हैरिस ने विनोबा जी से पूछा कि क्या भारत इनसे कुछ सीख सकता है? विनोबा जी ने इन आन्दोलनों की प्रशंसा करते हुए यह राय प्रकट की कि इनमें जो अच्छी बातें हों, उन्हें अपना लेना चाहिए। विनोबा जी के कहा कि भारत, चीन और इज़रायल से सहकारिता के बारे में बहुत कुछ सीख सकता है। पर हर देश के अपने रीतिरिवाज और परम्पराएँ होती हैं। भारत में उन्हीं के अनुरूप इस पद्धति को ढाल लेना चाहिए।

"पर भारत सरकार तो चीनी ढंग के आधार पर उत्पादकों की एक लाख समितियाँ खोलने का विचार कर रही है। क्या इस विचार से आप सहमत हैं?"

विनोबा जी ने उत्तर दिया—'बिना ग्रामदान के यह योजना न तो सम्भव है और न लाभदायक ही। ग्रामदान के आधार पर ही यह लाभदायक सिद्ध हो सकती है।"

उसी समय श्री आर्यनायकम सेवाग्राम से लौटे। उन्होंने बताया कि फिरकादान में महाराष्ट्र बाज़ी मार ले गया है। कोल्हापुर ज़िले के अजार महल स्थान में ५२ गाँव दान में मिले हैं। इस घटना को हुए एक सप्ताह हो चुका है, पर इसकी सूचना हाल ही में बम्बई के एक मराठी दैनिक में छोटे-से समाचार के रूप में छपी है। यह सुन कर आगन्तुकों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका में यदि दस गाँव भी इस तरह दान में दिए जाते तो सारा देश इसे एक करिश्मा मानता और यह खबर पहले ही सफ़े पर मोटी-मोटी सुर्खियों में छपती।

उसी अखबार में कत्ल के एक अपराधी को पकड़े जाने के समाचार को दोहरे कालम की सुर्खी दी गई थी। उसकी ओर इंगित करते हुए विनोबा जी ने कहा कि यदि फिरकादान में हिंसा का प्रयोग किया गया होता, तो उसे भी अखबार में सुर्खी दे कर छापा जाता क्योंकि उस समय वह एक क्रान्तिकारी घटना मानी जाती। विनोबा जी ने कहा कि मैं प्रचार के आधुनिक साधनों पर निर्भर नहीं रहता। मेरे विचार में क्रान्तियाँ गुप-चुप ही होती हैं और उनका पता जनता को तब लगता है जब उनमें पूरी सफलता मिल चुकी होती है।

तदुपरान्त श्रीमती बाउल्स ने विनोबा जी को बताया कि अमेरिका से श्रीमती किंग जल्दी ही भारत आने वाली हैं और वह भूदान यात्रा में आपके साथ रहेंगी। अमेरिका में पृथक्करण की नीति के अनुसार नीग्रो लोगों को बसों में नहीं बैठने दिया जाता था। इस अन्याय के विरुद्ध श्रीमती किंग ने संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की।

"यह प्रकाश की पहली किरण थी। ऐसा अमेरिका में पहले कभी नहीं हुआ था। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि ये जो किरणें दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका सहित समस्त विश्व को आलोकित कर रही हैं, उन्हें मिलाया जा सकता है या नहीं?"

"भगवान यह काम आप जैसे व्यक्तियों से कराना चाहता है। यह भी आपका एक मिशन है कि आप विश्व को ऐसे सुसमाचारों से अवगत कराती रहें।" विनोबा जी ने उत्तर दिया।

श्रीमती बाउल्स ने एक और सवाल किया—"आपकी राय में भारत के लोकतन्त्रीय ढाँचे में सत्याग्रह का क्या स्थान है?"

विनोबा जी ने जवाब दिया—"गान्धी जी के समय में हम जिस प्रकार का सत्याग्रह करते थे, उसका सम्बन्ध किसी रचनात्मक कार्य से नहीं था। उन्होंने अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने के लिए कहा। उन दिनों की हालतों में ऐसा करना स्वाभाविक भी था। पर अब, जब हम स्वयं अपने शासक हैं, सत्याग्रह रचनात्मक ही होना चाहिए। मुझे आशा है कि ग्रामदान से ही अच्छे किस्म के सत्याग्रह का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। जनता धीमे-धीमे यह समझ जाएगी कि हृदय परिवर्तन और मज़बूती से काम करने का क्या अर्थ होता है और जल्दी ही उसे यह पता लग जाएगा कि अब मजबूरन काम करने करने की आवश्यकता नहीं है। लोकतन्त्री देश में सत्याग्रह में एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो रचनात्मक हो और मनुष्य को ऊँचा उठा सके। 'सुधर जाओ या मर जाओ' ऐसा कहने से तो काम नहीं चलेगा। हमें तो अपने आपको सुधारते रहना है। मरने का तो कोई सवाल नहीं है। हमें काफ़ी अनुभव हो चुका है और उसी से नए रचनात्मक सत्याग्रह का जन्म होगा। गैर-रचनात्मक सत्याग्रह से हमने आजादी तो बेशक हासिल की, पर उससे हम एक अहिंसक रचनात्मक शक्ति का निर्माण न कर सके। जनता को अभी तक प्रेम की शक्ति में विश्वास नहीं हुआ है। हमें ऐसा विश्वास जमाना है।"

श्रीमती बाउल्स का अन्तिम प्रश्न था कि एक भूमिहीन व्यक्ति भूदान में किस तरह सहायता पहुँचा सकता है?

विनोबा जी ने जवाब दिया—"भूमिहीन व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उनकी श्रम-शक्ति। इसलिए उन्हें श्रमदान करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह वे नैतिक बल पैदा कर सकेंगे। उन्हें यह न समझना चाहिए कि वे तो केवल लेने के ही हकदार हैं। वे बहुत कुछ दे सकते हैं और उन्हें श्रम के रूप में प्रेमपूर्वक, मजबूरन नहीं, अपना सहयोग देना भी चाहिए।"

★

देश में नवजीवन का संचार

देश के सब भागों में आज चहुँमुखी प्रगति हो रही है। इन चार पृष्ठों में बहूद्देशीय कार्यक्रमों से हुई प्रगति की झाँकी देखिए

अपनी आँखों से देख कर ही किसी चीज़ पर विश्वास कीजिए। यह किसी बड़े कस्बे का चित्र नहीं, यह है नवाँशहर सामुदायिक योजना क्षेत्र के एक गाँव-गुज्जरपुरकलाँ का एक दृश्य। इस आदर्श गाँव में ईंटों के पक्के घर गाँववालों ने स्वयं अपनी मेहनत से तैयार किए हैं

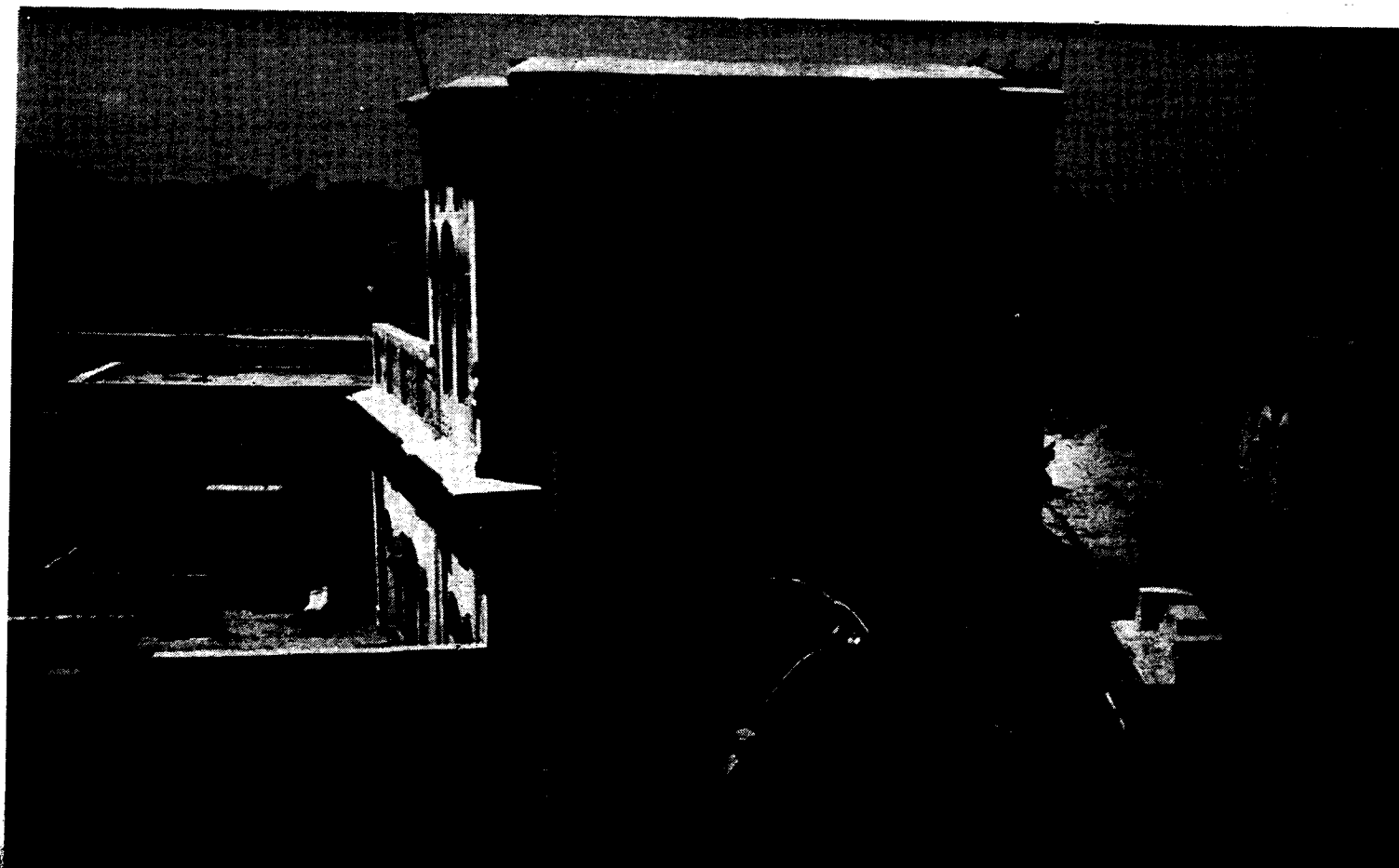

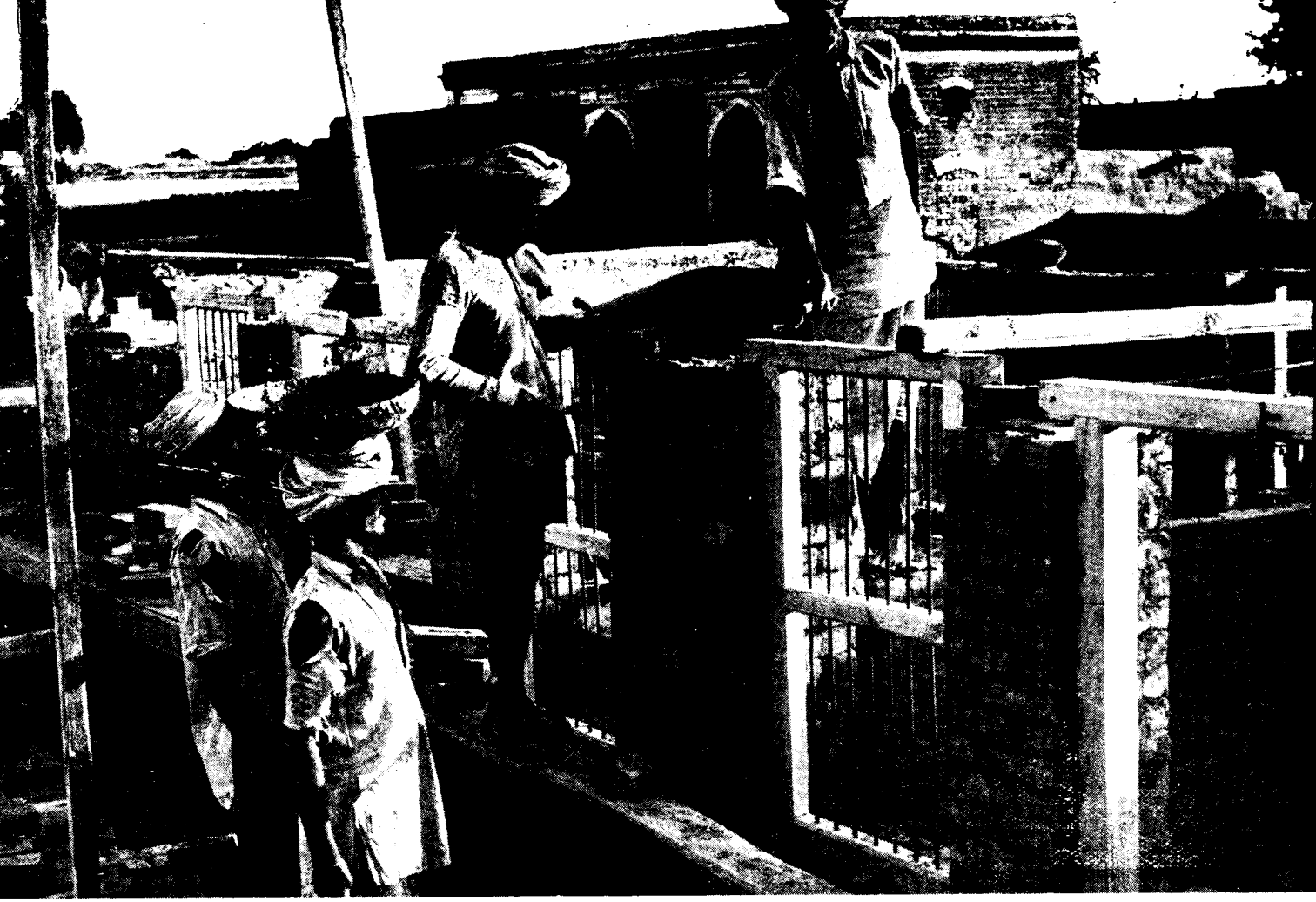

ऊपर : पंजाब के एक गाँव में कुछ लोग अपना घर खुद बना रहे हैं

नीचे : असम के गारो पहाड़ी क्षेत्र में कई स्कूल खोले गए हैं

नीचे : असम के गारो पहाड़ी योजना क्षेत्र में म

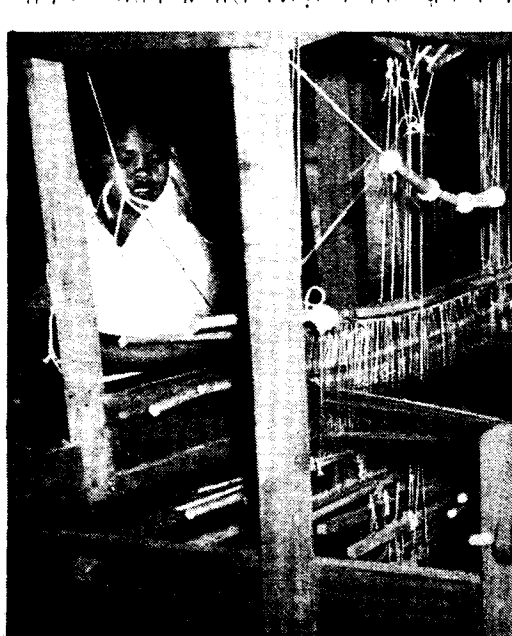

ऊपर : जूनागढ़ सामुदायिक योजना क्षेत्र में (उड़ीसा) के एक पौलिटेकनीक केन्द्र में बच्चे दस्तकारियाँ सीख रहे हैं

नीचे : सामुदायिकयोजना-कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकालय भी खोले गए हैं। प्रस्तुत चित्र मद्रास राज्य के तिरूकलिकुण्डरम् योजना केन्द्र के सुसज्जित पुस्तकालय का है

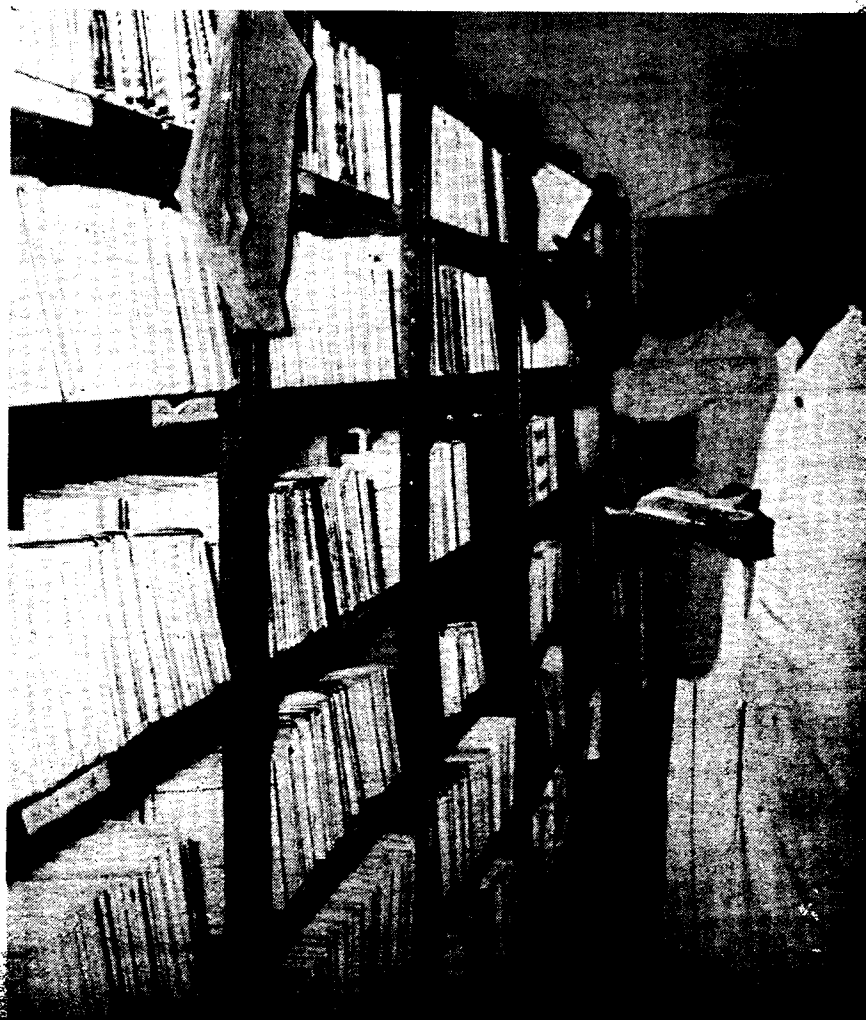

★

ओं का एक सहकारी बुनाई केन्द्र खोला गया है

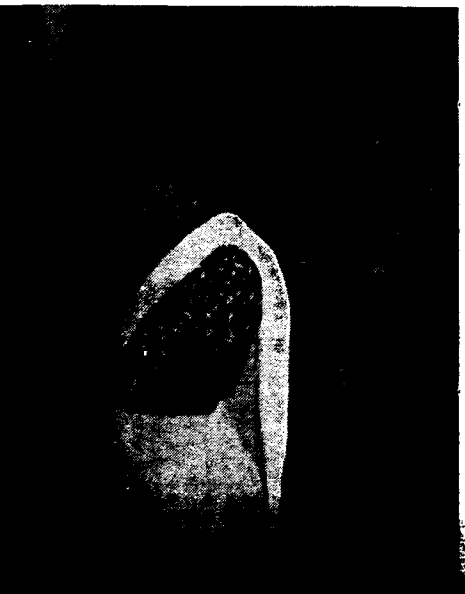

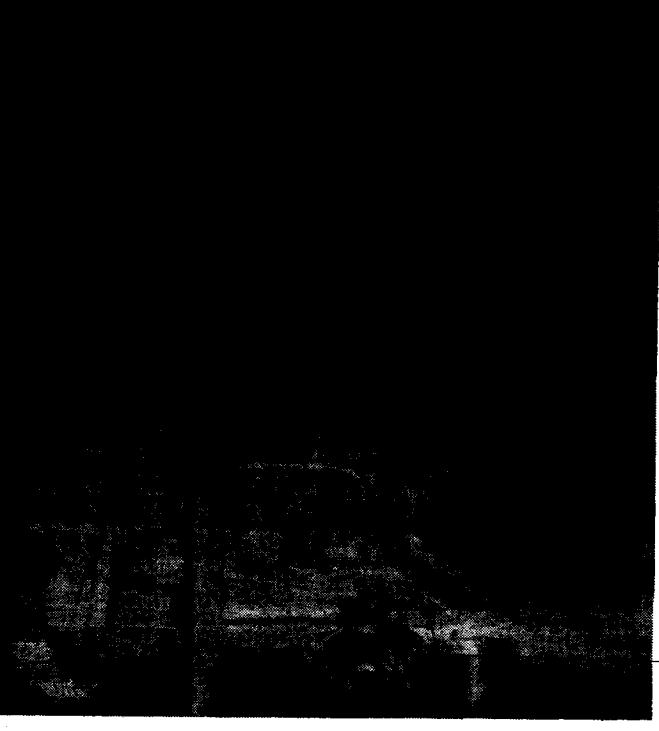

गाँव की औरतों को पानी भरने अब कुएँ तक नहीं जाना पड़ता। सामुदायिक योजना-कार्यक्रम के अन्तर्गत घरों के आगे नलके लगा दिए गए हैं।

नलकूपों से उपज बढ़ाने में सहायता मिली है। यह नलकूप दिल्ली के एक गाँव में लगा हुआ है

रंगिया सामुदायिक विकास खण्ड (जिला कामरूप, असम) में जनता द्वारा बनाए गए ढाई मील लम्बे नाले का एक विहंगम दृश्य

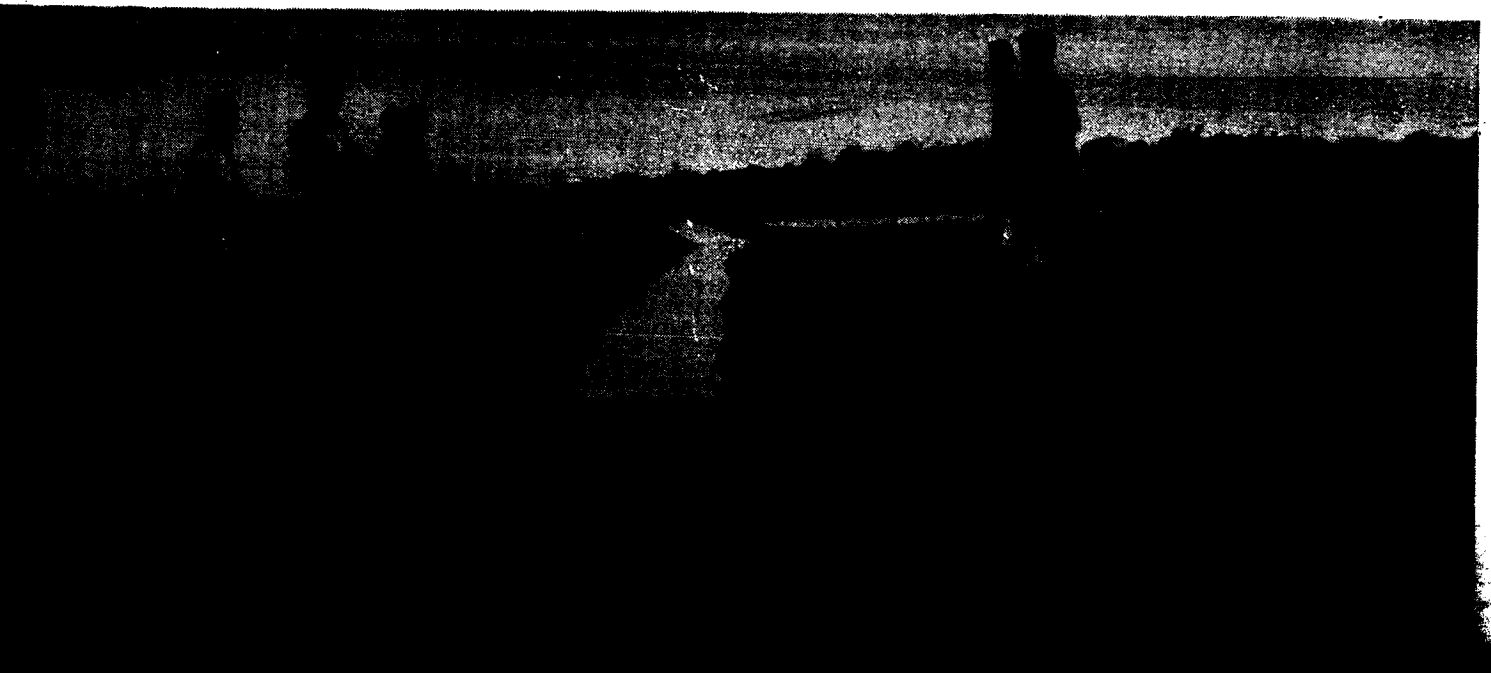

सामुदायिक विकास

शशधरसिंह

: २ :

एक साधारण व्यक्ति सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का नाम सुन कर अकसर चकरा जाता है। क्या इन दोनों का एक ही अर्थ है ? अगर नहीं, तो उनमें क्या सम्बन्ध है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इनका सम्बन्ध वही है जो युद्ध-नीति और चाल या दाँव-पेंच में होता है। रण-कौशल, युद्ध की आम नीति है और दाँव-पेंच युद्ध के दौरान में उठ खड़ी होने वाली समस्या का सामना करने की चाल। इसी तरह सामुदायिक विकास का आयोजन गाँव की समस्याओं पर एक साथ विचार कर के उन्हें दूर करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कुछ विशिष्ट विभिन्न समस्याओं को एक-एक करके दूर करने के लिए शुरू की गई है। इसलिए सिद्धान्त रूप में इसका उपयोग तभी हो सकता है जब साधारणजन यह महसूस करने लगें कि समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार करने की जरूरत है और वे इस उद्देश्य से ज्ञान प्राप्त करने, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने, पशुपालन और शिक्षा की ओर ध्यान दें।

ऐतिहासिक दृष्टि से विस्तार सेवा किसी न किसी रूप में सामुदायिक विकास की भावना जागृत होने के पहले मौजूद थी। अब उसका रूप निखर आया है। उसका क्षेत्र भी व्यापक हो गया है। विस्तार सेवा का उद्देश्य इन सब कार्यों को एक सूत्र में ऐसे ढंग से पिरोना है कि वे सामुदायिक विकास के व्यापक कार्यक्रम का अंग बन जाएँ।

यहाँ गाँवों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर विचार करना अनुचित न होगा। गाँवों के विकास का स्थायी आधार, विस्तार सेवा ही होगा; इसलिए आगे-पीछे सारे देश में इसी ढंग से काम होने लगेगा। विस्तार सेवा में देहातों की खास-खास समस्याओं पर ही ध्यान दिया जाता है। इसलिए इसे "व्यापक" की संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही साथ कुछ चुने हुए इलाकों में भरपूर विकास के लिए सामुदायिक विकास खण्ड खोले जाएँगे। यहाँ पर 'भरपूर' का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ग्राम-जीवन के हर पहलू को उन्नत बनाया जाए, नई दिशा दी जाए। स्वाभविक है कि इस तरह की कार्य-पद्धति में खर्च भी ज्यादा होगा। वास्तव में सामुदायिक विकास और विस्तार सेवा में कोई विरोध नहीं है। देश के विकास के लिए ये दोनों ही तरीके अपनाए जाएँगे।

विस्तार का अर्थ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। व्यवहार में इसका मतलब है—दीक्षा, जिसके जरिए ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन आएगा। कृषि विस्तार से हमारे गाँववाले भाई खेती के नए सुधरे हुए वैज्ञानिक तरीके सीखेंगे और उन पर अमल करेंगे। इसी प्रकार अन्य सेवाओं से वे स्वास्थ्य, पशुपालन और अन्य विषयों की जानकारी हासिल करेंगे। प्रगति का कार्यक्रम इस ढर्रे पर होगा—

(१) राष्ट्रीय विस्तार सेवा-कार्यक्रम के अधीन व्यापक विकास,

(२) सामुदायिक विकास-खण्डों के अधीन भरपूर विकास, और फिर,

(३) देश भर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का स्थायी कार्यक्रम।

सब से पहले चुने हुए क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले जाते हैं और उनमें से कुछ क्षेत्रों में भरपूर विकास का कार्यक्रम शुरू किया जाता है।

ऊपर जो क्रम दिया गया है, वह एक के बाद एक नहीं आएगा। सुविधा के अनुसार कहीं विस्तार सेवा खण्ड और कहीं सामुदायिक विकास खण्ड शुरू किए जाएँगे, ताकि सारे देश का एक ही ढर्रे पर विकास हो।

देश भर के लिए बनाए गए लोकप्रिय कार्यक्रम का संगठन भली-भाँति सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों का सारा दारोमदार लोगों के सहज सहयोग पर ही होता है, इसलिए इसके प्रशासन को केन्द्रित करने का सवाल ही नहीं उठता।

सामुदायिक विकास का प्रशासन मुख्य रूप से राज्य सरकारें चलाती हैं। केन्द्रीय सरकार तो मुख्यतः नीति निर्धारित करती है और राज्यों के कार्यों का समन्वय करती है।

१९५२ में योजना आयोग के अंग के रूप में सामुदायिक विकास प्रशासन स्थापित हुआ, पर अब उसे एक मन्त्रालय का रूप दे दिया गया है। मन्त्रालय, एक केन्द्रीय समिति के निर्देशन में काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधान मन्त्री हैं।

प्रत्येक क्षेत्र में एक विकास समिति है, जिसका अध्यक्ष वहाँ का मुख्य मन्त्री होता है। कार्यक्रम लागू करने में मुख्य मन्त्री की सहायता के लिए एक विकास कमिश्नर भी होता है। विकास कमिश्नर

के नीचे कलक्टर, सब-डिवीजनल आफिसर और खण्ड विकास अधिकारी होते हैं। खण्ड विकास अधिकारी के अधीन कृषि, पशुपालन, सहकार और कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों आदि के विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें विस्तार अधिकारी कहते हैं। सब से निचले स्तर पर ग्राम सेवक होता है जो ५-१० गाँवों के लोगों के बीच सब तरह के काम करता है।

सामुदायिक विकास कार्य के लिए कर्मचारियों को खासतौर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन कर्मचारियों के चार वर्ग हैं– (१) ग्राम सेवक, (२) समाज शिक्षा संगठक, (३) विस्तार अधिकारी और (४) खण्ड विकास अधिकारी। देश के विभिन्न प्रदेशों की प्रशिक्षण संस्थाओं में इन सब को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है और अनेक केन्द्रीय मन्त्रालय इस काम में सहयोग कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक बात याद रखने की है कि ग्राम सेवक ही गाँववालों और प्रशासन के बीच की कड़ी है। इसलिए सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की सफलता ग्राम सेवक की कार्य कुशलता पर निर्भर है। प्रशिक्षण का काम कितना बड़ा है, यह इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि दूसरी योजना के अन्त तक ५०,००० ग्राम सेवक प्रशिक्षित किए जाएँगे।

नागरिक प्रशासन में धीरे-धीरे महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। लगान की वसूली और कानून और शान्ति की व्यवस्था तक ही उनका काम सीमित नहीं रह गया है, वरन कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सर्व साधारण के प्रति उनके कर्त्तव्य बढ़ रहे हैं।

संसद्, केन्द्रीय सरकार को और राज्य विधान मण्डल, राज्य सरकारों को सलाह-मशविरा और निर्देश देते रहते हैं। खण्ड विकास अधिकारी की सहायता के लिए सलाहकार समितियाँ बनी हैं और ग्राम सेवकों को परामर्श देना पंचायतों और ग्राम परिषदों के जिम्मे है, जो अन्य अनेक कार्यों में भी ग्राम सेवक से सहयोग करती हैं।

अक्तूबर, १९५२ से, यानी आरम्भ से ही सामुदायिक विकास आन्दोलन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। भारत की अधिकांश जनता साढ़े पाँच लाख गाँवों मे रहती है। इनमें से ८ करोड़ जनसंख्या के १,२०,००० गाँवों में पहली योजना के अधीन सामुदायिक विकास-कार्य शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ था। इस समय देश में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार विस्तार सेवा के १,५०० खण्ड हैं, यानी १,९२,५६६ गाँव या ११.०३ करोड़ आबादी विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत है।

१९५७-५८ में २८३ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने का निश्चय किया गया है। योजना काल के बाकी वर्षों में इस हिसाब से खण्ड खोले जाएँगे:—

वर्ष	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	सामुदायिक विकास खण्डों में परिवर्तित किए जाने वाले राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की संख्या
१९५८-५९	७५०	२६०
१९५९-६०	९००	३००
१९६०-६१	१,०००	३६०

पहली योजना के अधीन इस कार्यक्रम के लिए १०१ करोड़ रुपया नियत हुआ था और दूसरी योजना में २०० करोड़ रुपया नियत किया गया है। एक सामुदायिक विकास खण्ड के लिए १२ लाख रुपया और एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के लिए ४ लाख रुपया मिलता है। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि प्रत्येक खण्ड में १०० गाँव होते हैं।

आन्दोलन के आरम्भ से ही कई तरह के कदम उठाए गए, लेकिन कृषि की पैदावार बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन ने दो वर्ष तक जो जाँच-पड़ताल की, उससे मालूम हुआ है कि योजना-कार्य क्षेत्रों में खेती की पैदावार २२ से २५ प्रति शत तक बढ़ गई है। दूसरा प्रमुख कार्य किसानों को उत्तम बीज मुहैया करने का रहा है। सितम्बर १९५६ तक ६१,४६,००० मन उत्तम बीज बाँटे गए और २६,४६,००० कृषि प्रदर्शन आयोजित किए गए। इस अवधि में १,४०,२६,००० मन रासायनिक खाद भी बाँटी गई। विकास क्षेत्रों में उत्तम बीजों और रासायनिक खाद की बढ़ती हुई माँग को देख कर ज्ञात होता है कि लोग खेती के नए तरीके अपनाने के कितने इच्छुक हैं। अनुमान है कि विकास क्षेत्रों में देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले रासायनिक खादों की माँग दूनी और उत्तम बीजों की चौगुनी रही। पशुपालन के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। ३,८३८ ग्राम केन्द्र खोले गए और अच्छी नस्ल के २०,००० बैल व मुर्गा आदि गाँववालों को दिए गए। सिंचाई कार्य भी खूब आगे बढ़ा है। २८,५०,००० एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था हुई और १६,६७,००० एकड़ जमीन तोड़ी गई। सबसे सराहनीय कार्य यह हुआ कि बहुत सी जगहों पर स्वयं किसानों ने सिंचाई के लिए तालाब आदि बनाए। कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने करने के किए १,५०,००० कारीगरों को संक्षिप्त प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार कुल मिला कर ६,६४,००० लोगों को पूरे समय का और ५,१८,००० को कुछ समय का रोजगार मिला।

चिकित्सा, पशु चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ देने और अन्य सामाजिक पहलुओं को सबल बनाने के उपाय किए गए। ९३१ से ऊपर प्रारम्भिक आरोग्य केन्द्र व ९४७ जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र खोले गए। पीने के

पानी के लिए ५८,००० कुएँ खोदे गए और ८२,००० पुराने कुओं की मरम्मत हुई। देहाती इलाकों में ७,००० मील पक्की सड़कें और ४२,००० मील कच्ची सड़कें बनाई गईं।

सामुदायिक विकास "जनता का कार्यक्रम" है, इसलिए जनता का सहयोग और उसका आगे आना विशेष महत्व की बात है। लोगों ने नकदी या श्रम आदि के रूप में जितना दिया है, उससे बड़ी आशा बँधती है। इन सबको रुपयों में आँका जाए तो कहा जा सकता है कि जनता ने सितम्बर १९५६ तक ३२.९६ लाख रुपया दिया जबकि सरकार ने ५५,२६ लाख रुपया खर्च किया है।

प्रधान मन्त्री ने सामुदायिक विकास के बारे में कई बार कहा है कि यह एक क्रान्तिकारी किस्म का आन्दोलन है। अगर यह आन्दोलन ग्रामवासियों के जीवन का अंग बन जाए और वे विकास योजनाओं में दिलचस्पी लेने लगें, तो समझ लीजिए कि सचमुच क्रान्ति हो गई। यहाँ पर क्रान्ति का मतलब लोगों के सोचने विचारने और काम करने के ढंग में तबदीली से है।

सामुदायिक विकास के जरिए देहाती इलाकों में कितनी प्रगति हुई है, इसे कैसे आँका जाए? इसमें कोई शक नहीं कि गाँवों में भौतिक दृष्टि से उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है कि गाँव अब पहले की तरह देश के सामाजिक जीवन से अलग नहीं रह सकेंगे। कृषि के क्षेत्र में तो बेजोड़ उन्नति हुई हैं। सड़कें बनी है, लोग स्वास्थ्य और सफाई की ओर ध्यान देने लगे हैं और यह भी समझने लगे हैं कि यदि गाँवों में बहुमुखी विकास होना है, तो सहकार की भावना जरूरी है और अपना काम खुद करने से ही वास्तविक प्रगति हो सकती है।

ये सब बहुत उत्साहवर्द्धक आसार हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब हम निश्चिन्त हो कर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। आर्थिक हालत सुधरने का या इस तरह की दूसरी सफलताओं का यह मतलब नहीं कि सोचने-विचारने और किसी चीज को देखने के ढंग को बदलने की जरूरत नहीं, यदि है तो वह अपने आप हो जाएगा। हालाँकि जाँच रिपोर्ट में कहा गया है—"विकास क्षेत्रों में न तो चारों तरफ एक जैसी प्रगति हुई है और जो हुई भी है उसे विशेष उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। लोगों के दृष्टिकोण में न तो उस तरह का परिवर्तन हुआ है और न परिवर्तन की इच्छा जगी है, जैसा कि सुख-सुविधा बढ़ानेवाले अन्य कार्यक्रमों के प्रति देखने में आता है।" इस कमी का कारण यह भी हो सकता है कि विकास कार्य सरकार द्वारा शुरू किए जाते हैं और इसमें गाँववालों का हाथ कम रहा है। अगर ऐसा है तो प्रशासनिक कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की उतनी ही जरूरत है जितनी कि गाँववालों के। डा० कार्ल टेलर ने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि सामुदायिक विकास के अन्तर्गत सड़कें, स्कूल या पंचायतघर बनाना हो या खेती के नए तरीके शुरू करने हों, हर काम में गाँववाले ही पहल करें, तो गाँव में काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों को अपने उत्तरदायित्व का बोध हो जाएगा। अन्ततः सामुदायिक विकास की सफलता की कसौटी यह है लोग कितने उत्साह, लगन और परिश्रम से काम करने लगे हैं, कितनी स्थानीय संस्थाओं का विकास हुआ है और गाँववालों में से ही कितने नेता या अगुआ बने हैं। लेकिन अभी तो शुरूआत ही है। इसलिए भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति से ही सन्तोष करना पड़ेगा।

जाहिर है कि यदि सामुदायिक विकास को लोगों की विचार-धारा का अंग बनाना है, उसकी नींव को स्थायी बनाना है, तो उसे स्वशासित ग्रामों की भारतीय परम्परा से गुम्फित कर देना होगा। सामुदायिक विकास भारत के सामाजिक जीवन का अंग बन कर ही जीवित रह सकता है।

★

एक आदर्श गाँव

बम्बई के मद्यनिषेध मन्त्री श्री रतुभाई अडानी ने मद्यनिषेध सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित एक सभा में भाषण करते हुए पिम्परी गाँव की एक "आदर्श गाँव" के रूप में प्रशंसा की। पिम्परी औरंगाबाद से २० मील दूर है। मन्त्री महोदय ने बताया कि पिम्परी के लोगों ने १९५० से ही अपनी मर्जी से गाँव में मद्यनिषेध लागू कर रखा है। गाँववालों ने हैदराबाद सरकार से कह कर गाँव की ताड़ी की दुकान बन्द करवा दी और गाँव से पाँच मील दूर तक शराब आदि पीने पर पाबन्दी लगा दी। गाँव में एक आदर्श पंचायत भी है। यहाँ के निवासियों ने श्रमदान से एक पाँच मील लम्बी सड़क भी बनाई है।

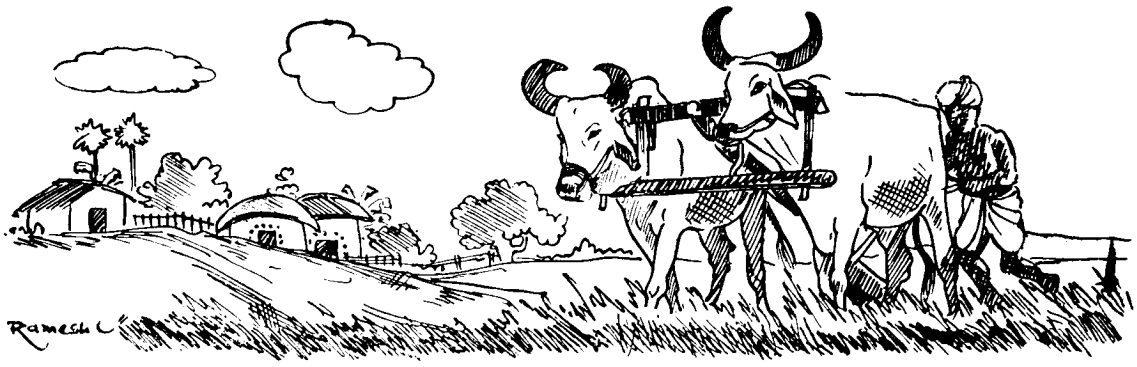

एक गाँव में चार बरस—१

बो० एल० चौधरी

सर्वोदय केन्द्र तरोंदा-निताया का श्रीगणेश २ अक्टूबर, १९५२ को गान्धी जयन्ती के पावन दिन हुआ। इसके उद्घाटन में तरोंदा और निताया, दोनों पुरवों ने सहयोग दिया। तरोंदा के मुखिया ने केन्द्र के लिए एक एकड़ भूमि दान में दी। स्कूल का मकान बनाने के लिए अधिकांश सामान निताया के लोगों ने दिया। शुरू के तीन महीनों में किसी संस्था या संघ से कोई मदद नहीं मिली। एक पेड़ के नीचे ही हमने गाँव का स्कूल शुरू कर दिया। एक महीने बाद सामुदायिक विकास-योजना के अन्तर्गत हमें एक शिक्षक मिला। तदुपरान्त कस्तूरबा स्मारक राष्ट्रीय ट्रस्ट ने हमें इस क्षेत्र के लिए चार स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता देने का वचन दिया। रसूलिया के फ्रेंड्स रूरल सेण्टर ने केन्द्र को वित्तीय सहायता भी देनी शुरू कर दी। गान्धी स्मारक ट्रस्ट तीन वर्ष तक एक कार्यकर्त्ता को वेतन देने का भार वहन करता रहा। पर अधिकतर खर्च रसूलिया का फ्रेंड्स रूरल सेण्टर उठाता है। ग्राम सेवा समिति तरोंदा-निताया एक स्वतन्त्र संस्था है जिसके अपने नियम-उपनियम हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य यह है कि गाँववालों को रचनात्मक कार्यों द्वारा ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनकी बीमारी और अज्ञान दूर हो जाए और उनमें आत्मविश्वास पैदा हो। इसीलिए सर्वोदय केन्द्र का प्रमुख काम भी यही है कि वह गाँववालों के सामने उन कार्यों का प्रदर्शन करके दिखाए जिनके अपनाने से गाँववालों का भला होगा। जनसेवा की भावना से प्रेरित हो कर ही हमने समाज सेवा की और गाँववालों को टेकनीकल सहायता प्रदान की।

कृषि विस्तार और प्रदर्शन

यहाँ किसान खुद ही खेती करते हैं। अधिकांश जोतों का क्षेत्रफल दस एकड़ से कम ही है। प्रायः सभी जोतें अलाभकर हैं और उनसे किसानों और उनके पशुओं को पूरे समय के लिए काम नहीं मिल पाता। पैदावार भी इतनी नहीं होती कि किसान अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें। इस समस्या का एक ही हल है कि भरपूर खेती की जाए और सिंचाई तथा खाद देने की व्यवस्था की जाए। इसलिए हम गाँववालों को मिश्रित खाद बनाना, सब्जियाँ उगाना, सुधरे हुए बीजों का उपयोग करना और पेड़ लगाना सिखाने लगे।

मिश्रित खाद

काम शुरू करने के पहले वर्ष में हमने मिश्रित खाद (कम्पोस्ट) के कुछ गड्ढे बनाए। हमने पाँच किसानों को मिश्रित खाद बना कर दिखाई। शेष लोगों ने उनका अनुसरण किया। पर इस काम के लिए जिन विभिन्न विधियों की आवश्यकता होती है, गाँववाले उनका महत्व नहीं समझते। वे यह नहीं समझते कि ठीक तरीके से बनाई गई मिश्रित खाद में और गलत तरीके के गड्ढों में ऊटपटांग ढंग से तैयार की गई खाद में बहुत अन्तर होता है।

सब से अजीब बात यह हुई कि जिन लोगों ने मिश्रित खाद बनाई, उनमें से अधिकतर ने वह तरबूज उगानेवालों के हाथ बेच दी। स्पष्ट ही है कि खाद की किस्म में उन्हें कोई रुचि न थी।

ग्राम सेवकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए दिखावे के लिए गाँववाले भले ही गड्ढे खोदते रहे, पर न तो उन्होंने गड्ढों को ठीक तरह भरने की चेष्टा की और न ही खाद का उपयोग करने की परवाह की।

इस इलाके में मुख्य रूप से गेहूँ पैदा होता है। फसल वर्षा पर ही निर्भर करती है। किसानों को इस बात में विश्वास नहीं कि मिश्रित खाद या रासायनिक खाद से गेहूँ की फसल को कोई विशेष लाभ पहुँचता है। इसलिए वे न तो खाद का उपयोग ही करते हैं और न ही ऐसा करने में उनकी कोई रुचि है। कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि हमें इस काम में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। जिन चीज़ों से खाद बनाई जा सकती है, अधिकतर किसान उन्हें ही बरबाद कर देते हैं।

सफ़ाई

स्वच्छता और कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने गाँववालों को सेवाग्राम की खाई वाली टट्टियों के इस्तेमाल की सलाह दी। हमने १५ ऐसी टट्टियाँ बनवाईं और उन्हें ५ रुपए प्रति टट्टी के हिसाब से बेचा। पर्यवेक्षित ऋण योजना (सुपरवाइण्ड क्रेडिट स्कीम) का सदस्य होने के लिए एक शर्त्त यह भी लगा दी गई कि सदस्यगण इन टट्टियों का उपयोग करें। ये टट्टियाँ एक साल तक चलीं। यदि उनकी समुचित देखभाल की जाए और मरम्मत की जाती रहे, तो वे तीन साल तक चल सकती हैं। हमारा यह अनुमान था कि एक बार जब लोग उन टट्टियों के अभ्यस्त हो जाएँगे, तो वे बाहर जंगल में नहीं जाएँगे और विशेष कर वर्षा के मौसम में तो वे बिलकुल नहीं जाएँगे। पर यह देख कर हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि इन टट्टियों के प्रति उनमें कोई रुचि पैदा न हुई। उनको दुबारा लगाने में किसी की रुचि नहीं है।

गेहूँ की खेती के उन्नत तरीके

इस इलाके में प्रति एकड़ औसत उपज ४५० पौण्ड होती है। पावरखेड़ा के सरकारी फार्म में प्रति एकड़ अधिकतम उपज २,८०० पौण्ड हुई है। इससे पता चलता है कि गेहूँ की प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जा सकती है। हमने भूमि के अपने टुकड़े पर परीक्षण शुरू किए। इस टुकड़े की ज़मीन बहुत घटिया थी। हमें मिलने से पहले यहाँ की औसत उपज २५० पौण्ड प्रति एकड़ थी। उन्नत तरीके अपनाने से अधिकतम उपज २,३७० पौण्ड और औसत उपज ८०० पौण्ड हुई। इसके बाद हमने इस बारे में एक सचित्र बुलेटिन निकाला कि प्रति एकड़ उपज किस तरह बढ़ाई जाए। घटिया भूमि होने के बावजूद अच्छी फसल ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने हमारी बहुत सी सिफारिशें स्वीकार कर लीं। उन्होंने हमारे यह सुझाव माने —

१. **धुन-निरोधी उन्नत बीज का उपयोग**—गाँव के ६०.३ प्रतिशत इलाके में आजकल नं० ११ और नं० ६५ का गेहूँ प्रयुक्त किया जाता है।

२. **बोने के समय गेहूँ के साथ उर्वरकों का उपयोग**—जिस वर्ष अच्छी वर्षा होती है, यह उपाय अपनाया जाता है।

३. **वर्ष में खेत में एक बार हल चलाना।**

४. **यन्त्र की सहायता से दोहरी पंक्ति में बीज बोना।**

पर किसानों को खेतों में खाद डालने या सिंचाई करने में विशेष रुचि नहीं है। सम्भवतः इसका कारण यह हो कि कुआँ खोदना महँगा पड़ता है और जैसी यहाँ की भूमि है, उनमें एक कुएँ से मुश्किल से एक एकड़ भूमि की ही सिंचाई की जा सकती है। धरती में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और सिंचाई का अधिकतर पानी उनमें बरबाद हो जाता है।

फल-सब्जी उगाना

गाँव में भरपूर पौष्टिक खाद्य किसी को भी नहीं मिलता। लोग फल-सब्जियाँ खाते ही नहीं, यद्यपि उन्हें वे आसानी से घर के आँगन में बो सकते हैं। हमने लोगों को भूमि तैयार करने, खाद देने, पौधे लगाने और बाद में उनकी देखभाल करने के बारे में सलाह दी। हमने एक नर्सरी भी बनाई जहाँ से उन्हें मुफ्त बीज दिए गए। आजकल प्रायः सभी घरों में फल-सब्ज़ी उगाई जाने लगी है। प्रायः बरसात में होनेवाली सब्ज़ियाँ बोई जाती हैं।

नहाने के बाद जो बेकार पानी बचता है, उससे सेम और लौकी की बेलें और पपीते तथा केले के कुछ पेड़ लगाए जा सकते हैं। इस बारे में हमने जो प्रदर्शन करके दिखाए, वे काफी सफल रहे। पर किसानों ने इसे अपनाया नहीं। केवल कुछेक किसान ही हमारा अनुकरण कर रहे हैं।

भूमि के हमारे टुकड़े पर आजकल तमाखू बोया जाता है। इससे तो यही पता चलता है कि लोग सब्जियों का मूल्य नहीं समझते और इसीलिए सब्जियाँ बोने की तकलीफ नहीं उठाते। एक काम जो हम कर सकते हैं, वह यह है कि वर्षा ऋतु में उन्हें अधिक अच्छी सब्जियाँ बोने के लिए प्रेरित किया जाए। लोगों ने इनके बोने में अब मिश्रित खाद और खेत की खाद का उपयोग शुरु कर दिया है। सम्भव है कि आगे चल कर फसलों में भी वे इनका उपयोग करने लगें।

वृक्ष लगाना

घरों में फल-सब्जी उगाने के कार्यक्रम में हमारी एक और योजना यह भी थी कि प्रत्येक घर में फल का कम से कम एक पेड़ होना चाहिए। हम अब भी इस योजना पर अमल कर रहे हैं और हमने अपना लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया है। इस क्षेत्र में लोकप्रिय फलदार पेड़ों के नाम हैं—नींबू, मीठा नींबू, पपीता, केला और आम।

इनके अतिरिक्त हमने गाँव के साझे पेड़ भी लगाए हैं। हर साल छः पौधे लगाए गए और अब गाँव के दस पेड़ साझे हैं। इनकी जिम्मेदारी हम पर ही है। गाँववाले यह सुझाव तो देते

रहते हैं कि यह करो, वह करो, पर स्वयं कुछ नहीं करते। गाँव की समाधि के निकट भी दो पेड़ लगाए गए हैं। इनकी देखभाल गाँववाले करते हैं।

रामायण मण्डल

गाँव की सब से सजीव संस्था है रामायण मण्डल। लोग इसमें बहुत रुचि लेते हैं। उपस्थिति भी सदैव अच्छी रहती है। जब से मण्डल शुरू हुआ है, हर शुक्रवार को बिना नागा मण्डल की बैठक होती है। इस मण्डल ने गाँव की नगरपालिका का रूप ले लिया है। सामान्य रुचि के सभी मामलों का निर्णय रामायण मण्डल में किया जाता है। ग्रामनिधि, गाँव के स्कूल और ऋण योजना का संचालन यहीं से होता है। जनता इस प्रकार की बैठक का और लोकतन्त्री तरीकों से निर्णय करने का महत्व समझने लगी है। हमारा अनुमान है कि यदि हम गाँव छोड़ कर चले भी गए, तो भी मण्डल चलता रहेगा। धार्मिक भावना उन्हें इस काम के लिए प्रेरित करती रहेगी।

पिछले चार वर्षों में रामायण मण्डल की विभिन्न मदों में जो धन जमा हुआ, उसका ब्यौरा इस प्रकार है—

	रु० आ० पा०
१. रामायण का चढ़ावा	२६६-६-३
२. जलाशय	५३२-०-०
३. ग्राम कल्याण कोष	३४८-०-०
कुल योग	११३६-६-३

पचास घरों के एक छोटे से गाँव में इतना धन एकत्र होना बड़ी उत्साहवर्धक बात है। दूसरे किसी गाँव में इस प्रकार धन एकत्र नहीं हुआ। शुरू में तरोदा गाँववालों ने धन नहीं दिया। पर साल भर बाद वे इस कोष का लाभ समझने लगे और अपना हिस्सा देने लगे।

ऋण योजना

इस योजना के अन्तर्गत बैल और बीज खरीदने के लिए ऋण दिए जाते हैं। रामायण मण्डल ने दस आदमियों की एक समिति नियुक्त कर रखी है जो ऋण स्वीकार करती है और वसूल करती है। इस बैठक का संयोजक गाँव का एक नवयुवक है। रामायण मण्डल द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों की एक समिति उसे नामज़द करती है। इस युवक की नामज़दगी गाँव ने सर्वसम्मति से स्वीकार की थी।

क्योंकि इस योजना की जिम्मेदारी गाँव को सौंप दी गई है, गाँववाले यह अनुभव करने लगे हैं कि धन उनका अपना है और इसीलिए बहुत सावधानी से उनका हिसाब-किताब रखते हैं। जहाँ तक ऋण देने और उसे वसूल करने का सवाल है; यह योजना बहुत अच्छी तरह चल रही है। तथापि अशिक्षित होने के कारण लोग उस धन का उपयोग अपनी आर्थिक दशा सुधारने में नहीं कर पाते। यह योजना ऋण मिलने का एक और स्रोत बन गई है। जनता धीमे-धीमे नियन्त्रित ऋण योजना का विचार समझने लगी है। तीन नवयुवकों ने दर्जीगीरी और बुनाई का धन्धा शुरू करने के लिए ऋण लिए हैं। वे बड़े नियम से किश्त चुका देते हैं। आशा है कि दूसरे लोग भी जल्दी ही उनका अनुकरण करेंगे।

गाँव का स्कूल

गाँव में कोई स्कूल नहीं था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल चार लड़के रायसलपुर जाते थे। पर विकास विभाग की सहायता से हमने एक स्कूल शुरू कर दिया।

सामुदायिक विकास-योजना ने धीरे-धीरे इस स्कूल को अपने हाथ में ले लिया। पर ऐसा करना गलत बात थी। हमने इस पर आपत्ति नहीं की क्योंकि हमारा उद्देश्य तो इतना ही था कि स्कूल चलता रहे। पर जैसे ही गाँववालों को इस बात का पता चला, उनमें स्कूल के प्रति ज़िम्मेदारी की सारी भावना समाप्त हो गई।

अब वह स्कूल दूसरे किसी भी गाँव में स्थानीय बोर्ड या सामुदायिक विकास-योजना द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों की भाँति है। जनता अब यह समझने लगी है कि स्कूल को ठीक तरह चलाना तो सामुदायिक विकास-योजना वालों की ही जिम्मेदारी है।

गाँव के किसान प्रतिवर्ष बुवाई और फसल के मौसम में ब्राह्मणों और दूसरे कुछ वर्गों के लिए एक हिस्सा अलग रख लेते हैं। हमने उनसे प्रार्थना की कि एक भाग वे स्कूल के लिए भी रखें। हमारे पास इतना अनाज इकट्ठा हो जाता है कि हम स्कूल के बच्चों को प्रतिदिन नाश्ता देते हैं। नाश्ते में हम उनको मक्खन, घी और दुग्धचूर्ण भी देते हैं। लोगों से अनाज माँगो, तो वे देने में तो आनाकानी नहीं करते; पर अपने आप देने भी नहीं आते। किसी को उनके पास जा कर स्वयं अनाज इकट्ठा करना पड़ता है।

(आगामी अंक में समाप्य)

इन्सान कभी नहीं हारा

सावित्रीदेवी वर्मा

गाँव के पंचायत घर में रेडियो पर पण्डित जी के भाषण का कुछ अंश प्रसारित हो रहा था—"हमें अपनी कृषि-उपज को दुगुना या तिगुना करना आसान होना चाहिए। मुझे शक नहीं कि ऐसा हो सकेगा। मैं काश्तकार नहीं हूँ और न मैंने कभी खेती की है, लेकिन देश को जानता हूँ, किसानों को जानता हूँ और दुनिया को जानता हूँ।"

रघु बोला—"पण्डित जी ने कितने बढ़ावे की बात कही है। जैसी फसल इस साल हुई है, वैसी यदि दो-चार साल और हो जाए तो अनाज की समस्या ही हल हो जाए। इस साल तो खलिहान और गोदाम अनाज से भर जाएँगे।"

गंगादीन एक सयाने की तरह बोला—"अनाज खेत से गोदाम में पहुँच जाए, तभी फसल ठीक हुई जानो। देख नहीं रहे हो, आकाश में असमय ही बादल छाए हुए हैं। फाल्गुन के महीने इतनी गर्मी और हुमस का होना ठीक नहीं है।"

रघु ने आसमान की ओर ताकते हुए कहा—"न भैय्या, बात ऐसी सोचो भी न। चना और मटर तो बस होली के बाद कटेंगे ही, गेहूँ की पीली बालियाँ भी दानों से लद कर झूम रही हैं। इसी फसल के भरोसे मैंने कर्जा ले कर बैलों की नई जोड़ी ली है। अगले नवरात्रों में बेटी का गौना करना है।"

पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दूसरे दिन ही शाम को जोर की आंधी आई और पटापट ओलों के साथ वर्षा होने लगी। देखते ही देखते ओलों की मार से सारे खेत बिछ कर सफेद हो गए। खड़ी फसल पटरा हो गई। किसान हाथ मलते रह गए। उस दिन शिवपुर के गाँव में रात को किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला।

फसल की बरबादी का समाचार जब विस्तार खण्डों में पहुँचा तो ग्राम कार्यकर्त्ता श्रीधर तथा राजू दादा, दोनों शिवपुर पहुँचे। गाँव का दौरा किया, गाँव की आर्थिक हालत सचमुच में बहुत खराब थी। खेती के भरोसे ही खेतिहर मजदूर, बढ़ई और लोहारों की आमदनी थी। सभी मन मसोसे बैठे थे। श्रीधर जी से कुछ सलाह-मशविरा करके राजू दादा अपनी योजना सफल करने के लिए शहर से कुछ सामान लेने चले गए और श्रीधर ने गाँव-वालों को इकट्ठा करके कहा—"भाइयो, इस प्रकार की दैनिक विपत्ति को भला कौन रोक सकता है? पर वह इन्सान ही क्या जो विपत्ति से हार जाए?"

दीनता की मूर्त्ति बना हुआ रघु बोला—"पर हम लोगों की तो कमर ही टूट गई है। खाने पीने भर को भी कुछ नहीं बचा। ढोर-डंगर भी भूखे मर जाएँगे। बहुत होगा, सरकार लगान माफ कर देगी। पर सवाल तो यह है कि हम लोग परिवार को कैसे पालेंगे?"

श्रीधर—"आप लोग हिम्मत रखें, सहयोग दें तो यह समस्या भी हल हो जाएगी। हर मुसीबत इन्सान को कुछ नया सबक सिखाती है। आप अब यह बात भली प्रकार समझ गए होंगे कि यदि आप लोग खाली समय में कोई उपयोगी घरेलू उद्योग अपना लेते, तो समय का सदुपयोग भी होता और उससे अतिरिक्त आमदनी भी होती जो कि आप के इस आड़े-भिड़े काम आती।"

"खैर, श्रीधर जी अब तो बीती ताहि बिसार दे—अब आगे के लिए हमें क्या करना है, यह बताएँ?"

"राजू दादा विकास खण्ड के अधिकारी के पास गए हैं। कल तक आ जाएँगे। हमने गाँव के घरेलू उद्योगों के विकसित करने की एक योजना चालू करने का विचार किया है। आप लोगों से यह प्रार्थना है कि सहयोग और विश्वास बनाए रखें। कल दोपहर को आप लोग यहाँ इकट्ठे हों, तब तक कुछ न कुछ तो करना तय हो ही जाएगा।"

रघु सोच रहा था पहला कर्ज उतरा नहीं, आगे कौन मुँह से महाजन से माँगूँ। काश, हमें समझ होती तो ब्याह-शादियों पर फालतू खर्चा न किया होता। दो वर्ष पहले जमीन को ले कर चाचा के बेटे से मुकद्दमा ठन गया था। उसमें भी काफी खर्चा हुआ। श्रीधर जी ठीक ही कहते हैं कि हम लोग साल में कई महीने गपशप, घरेलू झगड़ों और मुकद्दमेबाजी में ही गुजार देते हैं। इसमें समय अलग बरबाद होता है और पैसा अलग।

दूसरे दिन राजू भैय्या एक ट्रक में चर्खे, कपास, रंग-बिरंगे कागज़, चटाई और टोकरी बुनने के औजार आदि बहुत सा सामान ले कर आए। उन्होंने गाँव के जुलाहे, कुम्हार, बंसफोड़, लड़के-लड़कियों, बड़े-बूढ़ों, सभी को इकट्ठा कर लिया, कपास और चर्खे बाँट दिए गए। बच्चों को पंचायत घर में बिठा कर रंग-बिरंगे कागजों से खिलौती झंडियाँ बनाने का काम सौंपा गया। जुलाहों को कपड़ा बुनने के लिए सूत दिया गया। एक कारीगर ने कुम्हारों को घड़े, मटके, सुराहियों, फूलदानों और

गमलों को कलापूर्ण ढंग से रंगना सिखाया। लड़कियों को भी मटके और खिलौने रंगने का काम सौंपा गया। महिलाओं को कागज के लिफाफे और गत्ते के डिब्बे बनाने सिखाए गए। बस, एक हफ्ते में ही काफी माल कर तैयार हो गया। इस माल को एक दिन राजू दादा ट्रक में भरवा शहर ले गए और काटेज इण्डस्ट्रीज़ के केन्द्र में बेच आए। आते समय और कच्चा माल तथा नया आर्डर भी ले आए। उसी के अनुसार माल फिर तैयार कराया गया। अब की बार हाथ के पिसे आटे, बेसन, मिर्च-मसाले की भी बड़ी माँग थी। जो चक्कियाँ अब तक बेकार पड़ी थीं, वे ग्रामीण वधुओं के हाथों मुखरित हो उठीं। ऐसा मालूम होता था कि बस काम के सिवाय और किसी को कुछ नहीं सूझता। आराम सब के लिए हराम हो गया था।

खेतिहर मज़दूरों को सड़क से ले कर गाँव तक मार्ग पक्का करने, पंचायत घर की इमारत बनाने, नए कुएँ खोदने का काम मिल गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने भी इस में हाथ बटाया।

इस तरह काम करनेवालों का जमघट पंचायत घर में डटा ही रहता था। कहते हैं, गरज सब कुछ सिखा देती है। राजू दादा ने शहर की जरूरतों को ध्यान में रख कर गाँववालों को जिस काम में भी लगाया, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। बच्चे से ले कर बड़े तक काम में जुट गए। बच्चे और बूढ़े, रोज मनों गन्ना छील कर गंडेरियाँ काटते और सुबह ही वे शहर पहुँचा दी जाती। मालियों ने अपनी फुलवारी की खूब सेवा की। अतएव ढेरों फूलों की मालाएँ गंडेरियों के टोकरों के साथ ट्रक पर लाद कर शहर बिकने के लिए भिजवा दी जाती। खिलौने और रंगदार कलश और चित्रकारी से सजी सुराहियों की माँग तो खूब ही बढ़ी। कते हुए सूत के खेस और खद्दर भी काफी तैयार हुआ, रंगरेजों और जुलाहों ने भी काफ़ी कमाई की।

तीन मास बाद जाते समय सबके सहयोग की प्रशंसा करते हुए राजू दादा ने कहा—"भाइयो अब आप लोग परिश्रम का मूल्य समझ गए हैं। यदि हिम्मत बंधी रहे और पौरुख में विश्वास रहे, तो इन्सान कभी नहीं हारा है। मुझे आशा है कि इस अधूरे काम को आप चालू रखेंगे।"

रघु ने जवाब दिया—"दादा, आप ने तो हमें परिश्रम का मूल्य समझा दिया। तभी सयानों ने ठीक कहा है कि कमाई तो हाथ का मैल है।"

★

मसूरी सम्मेलन की सिफ़ारिशें — [पृष्ठ ७ का शेषांश]

प्रत्येक खण्ड में निम्नलिखित चीज़ों में से किन्हीं दो का उत्पादन या बिक्री या दोनों का प्रबन्ध सहकारी ढंग पर किया जाए—

(क) डेरी उद्योग और दूध का वितरण, (ख) मुर्गी-पालन, (ग) रेशम के कीड़े पालना, (घ) मधुमक्खीपालन, (ङ) ईंट बनाना, (च) कोल्हू लगाना, (छ) गुड़ और खण्ड-सारी तैयार करना, (ज) नारियल के रेशे से चटाई बनाना, और (झ) अन्य ग्रामोद्योग जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हथकरघा मण्डल आदि के अन्तर्गत आते हैं।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा संगठन यह देखे कि ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों के लिए होता है और उन्हें समय पर चुकाया जाता है। सहकारी समितियाँ उत्पादन कार्यक्रमों के आधार पर अपने सदस्यों को ऋण दें।

एक सर्वेक्षण यह जाँचने के लिए किया जाए कि खेती पशुपालन, मछलीपालन, घरेलू व ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी और एक विराट योजना बनाई जाए जिसमें उनके लिए जरूरी ऋण और बिक्री तथा ऋण में समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था की जाए।

इस न्यूनतम कार्यक्रम को लागू करने के लिए तथा निरीक्षण और देखभाल की व्यवस्था करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक राज्य के सहकारिता विभाग को राज्य, जिला एवं सब-डिवीजन स्तर पर सुदृढ़ किया जाए। समितियों को रजिस्टर करने के लिए जिले व सब-डिवीजन के सहकारिता अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए जाएँ।

(क्रमशः)

★

कार्यक्रम जांच संगठन की चौथी रिपोर्ट

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार के काम की प्रगति आँकने के लिए १९५२ में कार्यक्रम जाँच संगठन बनाया गया था। हाल में ही इसका चौथा प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है जिसमें कार्यक्रम की सफलताओं और असफलताओं का वर्णन है। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि कार्यक्रमों के सार्वजनिक निर्माण के अंग में जनता ने अधिक सहयोग दिया; परन्तु सहकारिता, सफाई, महिला संगठन आदि में उतनी सफलता नहीं हुई। इसी प्रतिवेदन की मोटी-मोटी बातें नीचे दी गई हैं--सम्पादक

लोगों में स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिली। देहातों की अधिकांश जनता अब भी सरकार का मुँह ताकती है। परन्तु गाँववाले अब यह समझने लगे हैं कि सरकार का काम केवल हुक्म चलाना नहीं, बल्कि लोगों की सहायता करना भी है और वे सरकार से इतनी आशा करने लगे हैं जिसे पूरा करना कठिन है। पर गाँवों में अभी तक अकेले या मिल कर स्वयं काम करने की भावना ने जड़ें नहीं पकड़ी हैं। सरकार ने यदि देहातों में अधिक साधनों का उपयोग नहीं किया और लोग यदि स्वयं आगे नहीं बढ़े और अपने पाँव पर खड़े न हुए, तो भविष्य में बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएँगी।

देहातों में सड़क-निर्माण, सिंचाई, कृषि और पशुपालन में सुधार आदि कार्यों में काफ़ी सफलता मिली है, परन्तु घरेलू धन्धों के प्रसार का कार्यक्रम विशेष सफल नहीं हुआ। इसी तरह प्रारम्भिक शिक्षा और पीने के पानी की व्यवस्था में भी काफ़ी सफलता मिली है, परन्तु प्रौढ़ शिक्षा तथा अपनी और आस-पास की सफ़ाई का काम इतना सफल नहीं हुआ।

सब से कम सफलता सामाजिक आदतों के बदलने में अर्थात् सामुदायिक केन्द्र तथा युवकों और स्त्रियों के संगठन बनाने में हुई। बहुमुखी सहकारी संगठन भी न बनाए जा सके और सहकारी समितियाँ कर्ज़ देने के अलावा अन्य दूसरे काम नहीं कर सकीं। पंचायतों की सदस्यता की जिम्मेदारियाँ समझने और गाँवों के विकास में पंचायतों का भार उठाने का प्रयत्न भी सफल नहीं हो सका। सामुदायिक विकास-योजनाओं से सब को समान लाभ नहीं पहुँचा है। जिन गाँवों में ग्राम सेवकों का मुख्य कार्यालय हैं या जो पास हैं, उनको तो लाभ हुआ, परन्तु दूर और दुर्गम गाँवों को उतना लाभ नहीं हुआ। गाँव के अन्दर भी सबको समान लाभ नहीं पहुँचा। ज्यादा जमीनवाले और धनी किसानों को अधिक लाभ हुआ। यह बहुत चिन्तनीय बात है।

सामुदायिक विकास कर्मचारी, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना के आदर्श और भावना से अभी प्रभावित नहीं हो सके हैं। उनमें उत्साह और कर्त्तव्यनिष्ठा पैदा करने की जरूरत है।

विकास खण्डों और जिलों की सलाहकार समितियाँ वैसा काम नहीं कर सकी है जिसकी उनसे आशा थी। इसके दो कारण हैं--एक तो इन समितियों के सदस्य ठीक से नहीं चुने जाते और दूसरे, अफसर लोग इन से लाभ नहीं उठाते।

१९५२-५३ में शुरू किए गए कई एक सामुदायिक विकास क्षेत्रों को सहसा ही भरपूर विकास खण्डों में बदल दिया गया है। पहले कार्यकर्त्ताओं को पुरानी योजना के अधीन व्यय के लिए खूब धन मिलता था, परन्तु अब वे यह नहीं समझ पाते कि अपना वक्त कैसे बिताएँ। इस परिवर्तन से अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो गई हैं। सामुदायिक योजना में गाँवों में जो नए काम हुए और सड़कें आदि बनीं, अब उनकी देखभाल और कायम रखने का प्रश्न उठ खड़ा है।

गाँवों की पंचायतों को योजना के अन्तर्गत हुए काम और इमारत आदि की देखभाल का काम सौंपना चाहिए। विकास कार्यक्रम बनाने और उस पर अमल करने में भी पंचायतों का हाथ होना चाहिए। इस समय समस्या यह है कि जब तक पंचायतें इस काम को न सम्हालें, तब तक वर्त्तमान कार्यों और सुविधाओं की देखभाल कौन करे? अस्तु, इस विषय में सामुदायिक विकास-कर्मचारियों की कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस काम के लिए कुछ धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

शासन का मुख्य काम--विकास

जिलाधीश अब विकास-कार्यक्रम का आधार बन गए हैं और जिला शासन व्यवस्था, लोक मंगलकारी रूप धारण कर रही है। परन्तु अभी जिलाधिकारी और राज्य सरकार इस परिवर्तन को समझ नहीं पाए हैं।

विकास कार्य ही जिलाधिकारी का मुख्य काम होना चाहिए और कानून, शासन व्यवस्था और राजस्व संग्रह आदि दूसरे कामों के लिए उसे मातहत अफसर मिलने चाहिएँ।

विस्तार कार्यकर्त्ता और विशेषज्ञ कर्मचारी सामुदायिक विकास के आदर्श को भलीभाँति नहीं समझ सके हैं।

ग्राम सेवक का काम

ग्राम सेवक का काम स्पष्ट निश्चित किया जाना चाहिए। भरपूर विकास से परिवर्तन के बाद निर्माण कार्य बहुत कम रह जाने से ग्राम सेवक का काम भी बहुत कम रह गया है। यह शिकायत की जाती है कि ग्राम सेवक अब गाँवों में नहीं जाते और जाते भी हैं तो परिचित लोगों ही से मिलते हैं। उनमें अफ़सरी की भावना भी बढ़ती जा रही है।

सामुदायिक विकास के दिनों में विकास क्षेत्र के कर्मचारियों के पास काफी धन रहता था। उस समय ग्राम सेवक लोगों को आर्थिक सहायता दे सकते थे और उनके लिए ऋण और आवश्यक सामग्री का इन्तजाम कर सकते थे। सरकार और जनता के बीच की खाई को ग्राम सेवक ने ही पाटा। इसलिए ग्राम सेवक का यह काम सहसा रुक जाना अच्छा नहीं होगा।

योजना आयोग का लक्ष्य है कि ग्राम सेवक अपने क्षेत्र के प्रत्येक परिवार से सम्पर्क स्थापित करे और उत्पादन बढ़ाने में उसकी सहायता करे। यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब ग्राम सेवक के जिम्मे छोटा क्षेत्र और कम आदमी हों।

कार्यक्रम का पुनरावलोकन

केवल विस्तार-व्यवस्था स्थापित कर देने से देहातों में उन्नति नहीं हो सकती। कार्यक्रम में निर्माण-कार्यों को और ऋण आदि देने की व्यवस्था होनी चाहिए। देहाती क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा को राज्य सरकारों का स्थायी अंग मानना चाहिए। इस बात पर जोर देना चाहिए कि विकास खण्डों का कार्यक्रम बनाने और चलाने में सहायता देने के लिए प्राविधिक योग्यता वाले कर्मचारी भेजे जाएँ। विकास क्षेत्र के निकट ही गवेषणा केन्द्र भी होने चाहिएँ, ताकि वास्तविक अनुभव के आधार पर गवेषणा हो। विकास-कार्यक्रमों को चलाने में पंचायतों और सहकारी संगठनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि जो तीन योजना-क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ ठहराए गए हैं, वे वहीं हैं, जहाँ विकास-कार्यक्रम में पंचायतों और सहकारी संगठनों का अधिकाधिक उपयोग किया गया है। ग्राम सेवक के प्रशिक्षण में भी ग्राम-संगठन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जिलों और राज्यों के विकास अधिकारियों में भी सामुदायिक विकास की मूल भावना जागृत करना जरूरी है।

समाज शिक्षा

गाँववाले अपने बच्चों को तो पढ़ाना चाहते हैं परन्तु प्रौढ़ों के पढ़ने के प्रति उनमें उत्साह नहीं है। मनोरंजन केन्द्र और क्लब आदि चलाने में भी बहुत सफलता नहीं मिली है।

पुस्तकालय खोलने या अन्य सुविधा देने के पहले यह भी पता लगाना चाहिए कि लोग वास्तव में सुविधाओं के लिए उत्सुक या इच्छुक हैं या नहीं।

यह बहुत चिन्ता की बात है कि बहुमुखी सहकारी संस्थाएँ नाममात्र के लिए बहुमुखी है। उनका काम केवल ऋण देना रह गया है। संगठन को सूचना मिली है कि कुछ क्षेत्रों को छोड़, शेष सब जगह सहकारी संस्थाएँ सरकारी प्रयत्न और सहायता ही से स्थापित हुई। होना यह चाहिए कि योजना कर्मचारियों को सहकारी संगठन की उचित शिक्षा दी जाए, और सहकारी संस्थाओं की संख्या बढ़ाने के बजाय उनका काम अच्छा बनाया जाए।

घरेलू उद्योगों के विकास के लिए सामुदायिक विकास क्षेत्रों में जो २५ योजनाएँ शुरू की गई थीं, उन्हें शुरू हुए अभी पूरा साल भी नहीं हुआ है, अतः उनकी जाँच अभी नहीं की गई है।

ऋण और सहकारी संगठन

योजनाओं में ऋण के लिए जो रकम रखी गई थी, उसका पूरा उपयोग नहीं किया गया। सिंचाई और भूमि सुधार के लिए ऋण की व्यवस्था जरूरी है। इसलिए ये ऋण सहकारी संस्थाओं की मार्फत दिए जाएँ। साथ ही इन ऋणों से देहात के उन वर्गों को विशेष लाभ होना चाहिए जो पिछड़े या उपेक्षित रहे हैं।

★

सारा भारत आपका है

"हम आपस में राज्यों के नाम से कहें कि हम बंगाली हैं, मद्रासी हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं, और इस तरह आपस में बहस करें, तो यह बात ठीक नहीं है। हम सब भारत के रहनेवाले हैं। हम सब भारत के हैं और सारा भारत हमारा है। यह भारत आपका है और मेरा है। खाली एक गाँव नहीं, सारा भारत आपका है। जहाँ चाहे आप जाओ, हिमालय पहाड़ से ले कर दक्षिण तक, जहाँ चाहे आप रहो, जहाँ चाहे काम करो, कोई रुकावट नहीं है। तो यह सारा भारत आपका है।"

—जवाहरलाल नेहरू

पटेल के दो शब्द

नर्मदाप्रसाद लखेरा

"बाबू जी ! अब मेरी लाज आपके हाथ है ।"

वह सचमुच मेरे पैरों पर गिर पड़ा । "सेवा हमारा धर्म है" इस मूल मन्त्र से प्रेरणा प्राप्त कर, बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस अपरिचित को दस रुपए दे दिए । वह फिर एक बार मेर पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाता हुआ रात्रि के घोर अन्धकार में विलीन हो गया ।

मुझे इस ग्राम में आए अभी सात ही दिन हुए थे । गाँव के वातावरण तथा लोगों से मैं आज भी पहले दिन के समान ही अपरिचित था । मुझे अपने इस व्यवहार से शान्ति तो मिली, किन्तु उसकी एक ही आवाज़ पर मैं कैसा मन्त्रमुग्ध-सा हो गया, इस पर स्वतः ही मुझे आश्चर्य होता रहा और अनेकानेक शंकाओं ने मुझे बेचैन कर दिया ।

व्यर्थ की उधेड़बुन से छुटकारा पाने के लिए मैंने सोचा कि उपन्यास पढ़ा जाए । परन्तु बिस्तर से उठ कर उपन्यास उठाने भी न पाया था कि दरवाज़े पर फिर खटखट हुई । किसी बड़ी बला आने के सन्देह से मैं कुछ भयभीत हो उठा । ईश्वर का नाम ले कर दरवाज़ा खोला । लगभग ३५ वर्ष के एक रोबीले आगन्तुक ने बड़ी-बड़ी आँखों से घूरते हुए कमरे में प्रवेश किया । बिना मेरी अनुमति के ही बिस्तर पर बैठते हुए उसका कहा—"तो सुनो ...मैं मानता हूँ कि तुम गाँव की भलाई के लिए आनेवाले ग्राम सेवक ट्रेनिंग के रंगरूट हो, किन्तु अभी तुम इस नए जोश में अपने कर्त्तव्य को पहचानना भर ही जानते हो...कर्त्तव्य में सफल होना नहीं ।" और शीघ्रता के साथ उठते हुए उसने कहा—"यदि तुम्हें सफल होना है, तो इतना ही कहे देता हूँ—नदी में रह कर मगर से बैर करना ठीक न होगा ।"

मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह वहाँ से चला गया । इस घटना ने मुझे और भी चिन्तित बना दिया ।

उसकी वेशभूषा से मैंने कल्पना की कि वह गाँव का पटेल होगा । पटेल साहब से यह पहली भेंट मुझे बड़ी दुखदायी और किसी बड़े खतरे से कम न जान पड़ी ।

चिन्तित होने के कारण अगले दिन मैं रोज की अपेक्षा जल्दी ही उठ गया । अब इस गाँव में क्या और कैसे कार्य करूँगा, यही कुछ सोचता हुआ दूर घूमने निकल गया । धूमिल अन्धकार में मैंने देखा कि कुछ लोग एक खेत की लहलहाती फसल में पशु चरा रहे हैं । यह देख कर मैं क्षुब्ध हो उठा । उन व्यक्तियों को ऐसा न करने की प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ा, किन्तु कुछ ही फासला तय करने पर ठिठक कर रह गया । देखा तो सामने वही रातवाली मूर्ति खड़ी है । उसके हाथ में एक बड़ा मोटा काला लट्ठ है ।

उनसे इतने शीघ्र और प्रत्यक्ष टक्कर लेना मैंने उचित न समझा । मेरे मन में कई विचार उठने लगे - 'मैं अभी प्रशिक्षणार्थी हूँ, इस ग्राम में तीन माह हिलमिल कर कार्य करना है, अपने निस्सहाय कुटुम्ब और वयोवृद्ध पिता का एक ही लड़का हूँ, और फिर इस समय यहाँ अकेला हूँ ।' इन सब एक साथ आनेवाले विचारों ने मुझे किंकर्त्तव्य विमूढ़ बना दिया । मेरी आँखों के सामने अन्धकार छा गया । उसी स्थल पर दो मिनट तक मूर्तिवत् खड़ा रहा । इस बीच अचानक ही न जाने कैसे अपनी दैनिक प्रार्थना गुनगुनाने लगा—

यही शक्ति हमें दो कृपानिधे, कर्त्तव्य मार्ग पर डट जाएँ,
पर-सेवा पर-उपकार में हम, जग जीवन सफल बना जाएँ ।
हम दीन-दुखी निर्बलों-विकलों के सेवक बन सन्ताप हरें,
जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारें, हम तर जाएँ ॥

अपनी प्रार्थना पूरी गुनगुनाने भी न पाया था कि अकस्मात् मेरे पैर उसी ओर आगे बढ़ चले । ऐसी निर्भीकता देख कर और शायद खुद के कुकृत्य पर उन्हें स्वतः झिझक-सी हुई । मैं उनसे कुछ प्रार्थना करूँ, इसके पूर्व ही उन्होंने ऊँची आवाज़ से ल...ख...न पुकारा और लखन से घर लौट चलने को कहा । इसके साथ ही कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने पीठ फेर ली ; ऐसी हालत में मुझे एक भी शब्द बोलने का साहस न हुआ, किन्तु अपनी इस सफलता पर मुझे प्रसन्नता हुई ।

घर लौट कर मुझे रात्रि में दस रुपए लेने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता हुई । पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उस बेचारे गोपी को गाँव का पटेल दिन-रात तंग करता है । पटेल ने उसकी पाँच भैंसें पकड़ कर गाँव के काँजी हाउस में न भेज कर दूर के काँजी हाउस में भिजवा दी थीं । अगले ही दिन उनका नीलाम होना था । यह सब जान कर मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने उसे दस

रुपए की सहायता दी थी। किन्तु उसके तथा गाँव के दुःखों को सुन मेरी हालत उसी विद्यार्थी के समान हो गई जिसका परीक्षा फल पहले तो पास और फिर उसी क्षण फेल सुना दिया जाता है। उसी गोपी का खेत आज प्रातः नष्ट करवाया जा रहा था। कुछ और पता लगाने पर मालूम हुआ कि पटेल के इन सब अत्याचारों का एकमात्र कारण यही है कि बेचारा गोपी, पटेल साहब के यहाँ १२ रुपए प्रति मास पर नौकरी करने को तैयार नहीं है।

मुझे यह सब दुखभरी गाथा गाँव का बूढ़ा घन्सू सुना रहा था। उसकी दुखी आत्मा तड़प उठी—"बेटा ईश्वर के न्याय में देर ज़रूर है, लेकिन अन्धेर नहीं।" हमारी दीन हालत का ये धनी स्वार्थी लोग नाजायज फ़ायदा क्यों उठाते हैं? क्या पूरी स्वतन्त्रता इन्हें ही मिली है? तो क्या हम इस देश के नहीं? और इधर तुम लोग हम लोगों की आँखों में सरासर धूल झोंक कर कहते जाते हो—"दादा अब तुम्हीं तो सरकार हो। तुम्हें अब किसी का डर नहीं।" घन्सू यह सब एक ही साँस में कह गया। कुछ देर रुक कर उसके काँपते ओंठ फिर कहने लगे—"अब हम लोग अच्छी तरह समझते जा रहे हैं कि जो भी हमारे पास आता है, वह केवल थोड़े समय के लिए चोंचले बनाने और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही आता है। हम गरीबों की भलाई की किसे चिन्ता है?" इतना कह वह व्यग्र हो उठा।

उसके अन्तःकरण से निकले इन प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से दिया जाए, इसी सोच में कुछ देर शान्त रह मैं बोला—"दादा, आपका कहना बिलकुल ठीक है। गरीब की आह भगवान राम के बाण के समान कभी खाली नहीं जाती। ये धन के मद में चूर रहनेवाले लोग अपने अत्याचारों का फल किसी न किसी रूप में अवश्य ही और इसी जन्म में पाते हैं।"

उसी क्षण रामचरण चिल्लाते हुए आया कि अभी-अभी धरमू बड़ी वाड़ी के कुएँ में रस्सी के टूट जाने से गिर पड़ा है। मैं कुएँ की ओर भागा। घटनास्थल पर पहुँच कर देखा कि ५-७ पनहारियाँ कुएँ के आजू-बाजू खड़ी कुएँ में झाँक रही हैं और तीन-चार व्यक्ति एक कढ़ाई को रस्सी से बाँध रहे हैं। देर होती देख मैंने आव देखा न ताव, और कुएँ में कूद पड़ा। बालक कुएँ में ३-४ डुबकियाँ ले चुका था। उसे एक हाथ से ऊपर उठाते हुए मैंने तैरने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद ही लोगों ने कुएँ में कढ़ाई लटका दी। बालक और मैं बाहर निकाले गए। बालक को बेहोश देख कर मैंने उसे औंधा लिटा कर उसके पेट का पानी निकाला। बालक को होश आ गया। सभी मुझे और मेरे इस तरीके को आश्चर्य से देख रहे थे। यह सात वर्षीय बालक पटेल का ही इकलौता पुत्र था। उसके परिवार के सभी लोग निहोरे के गीत गाने लगे। किन्तु आश्चर्य की बात यह थी कि उस जनसमुदाय के बीच में पटेल साहब न थे हालांकि उन्हें इस बात की पूरी सूचना खलिहान पर ही भेज दी गई थी।

अभी मैं पटवारी जी के साथ खाट पर बैठा ही था कि शान्त वातावरण को भंग करता और भीड़ को चीरता हुआ गोपी आया और भर्राई आवाज़ में कहने लगा—'बाबू जी...मेरे भैय्या (पिता जी) आपको याद कर रहे हैं, बीमार हैं, वे आप से आखिरी भेंट करना चाहते हैं।" इतना कह कर वह कातर आवाज़ में भैय्या...चीख़ उठा। इस अनजान भैय्या व्यक्ति की आत्मीयता देख मैं दंग रह गया और गोपी के पीछे चल पड़ा। मेरे पीछे और भी बहुत से लोग भी चल पड़े। सब लोग यही कह रहे थे कि गोपी का बाप पटेल के दो साल के अत्याचारों के कारण जीवन से हताश हो गया है। किन्तु वहाँ पहुँचने पर सब ने देखा कि पटेल जी बीमार की खाट पर बैठे हैं। यह देख कर मैं ही नहीं, वरन सभी लोग चकित हो गए।

बीमार सचमुच मुझे देखने की इच्छा से ही अब तक जीवित था। उसकी साँस धीमी पड़ती जा रही थी। बोलने की इच्छा रखते हुए भी गोपी का बाप मंगल बोल न सका। उसकी स्नेह से डबडबाई आँखें एकटक मुझे निहार रहीं थीं। मंगल के दाहिने हाथ में दस का नोट था। शक्ति न रहने पर भी उसने वह हाथ मेरी ओर बढ़ाने की पूरी कोशिश की। और उसी क्षण मंगल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।

इस रोमांचकारी दृश्य को देख सभी उपस्थित लोगों की आँखों से आँसू बहने लगे। पटेल जी की तो हिचकी बँध गई। वह भर्राई आवाज़ में बलख गोपी को धीरज बँधाते हुए केवल इतना ही कह सके—"गोपी, तेरा बूढ़ा गरीब बाप अब जवान और अमीर पटेल भैय्या बन कर आ गया है।"

'बी··र' कह गोपी उनके चरणों पर गिर पड़ा।

जब भी मैं अपनी आँखों के सामने दस का नोट देखता हूँ तो शोक और हर्ष से मेरा गला रुँध जाता है। आँखों के आगे मंगल दादा की अन्तिम विदाई का दृश्य घूमने लगता है और कानों में पटेल जी के वे सहानुभूतिपूर्ण शब्द गूँजने लगते हैं।

★

प्रगति के पथ पर

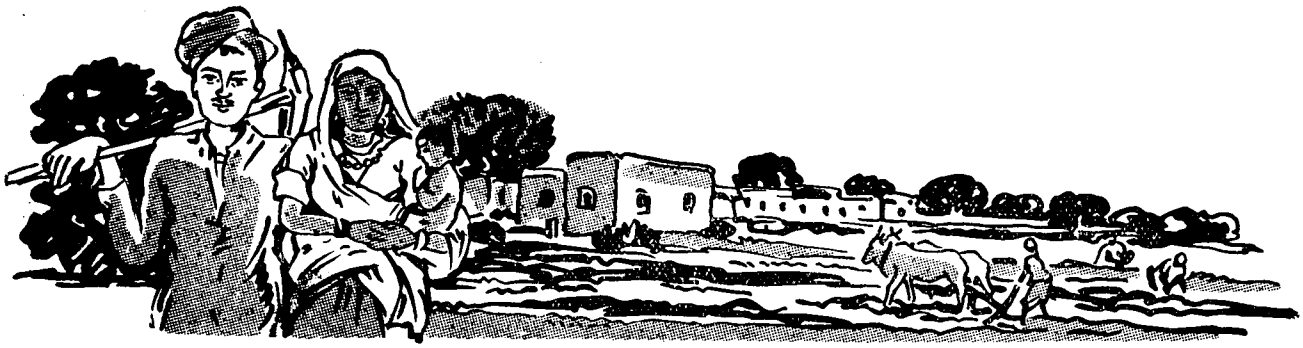

बिहार में सिंचाई योजना के लिए ऋण

बिहार के अनाज की कमीवाले क्षेत्रों में स्थायी सुधार के लिए १९५६-५७ में चालू योजनाओं का खर्च उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को ४० लाख रुपए का ऋण देना स्वीकार किया है। केन्द्रीय सरकार इस मद में बिहार सरकार को अब तक २,०५,३८,००० रुपए का ऋण दे चुकी है।

अनाज की कमीवाले क्षेत्रों की हालत सुधारने के कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई के लिए दो नहरें खोदने की योजना बनाई गई हैं। दरभंगा ज़िले की कमला नहर और चम्पारन ज़िले की त्रिवेणी नहर से १,०२,१०० एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुँचेगा।

नहरों से पानी की निकासी की योजनाओं से ७१,९३० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी। इन योजनाओं पर ५४,३७,००० रुपए व्यय होने का अनुमान है।

हथकरघे के कपड़े के लिए चार प्रादेशिक नमूना-केन्द्र

हथकरघे के कपड़े के लिए नए नमूने, रंगों के नए मेल और बुनावट तैयार करने के लिए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय के अधीन अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल देश में चार प्रादेशिक नमूना-केन्द्र स्थापित करेगा।

बम्बई का केन्द्रीय नमूना-केन्द्र इस महीने के अन्त तक चालू हो जाएगा। तीन अन्य केन्द्र मद्रास, वाराणसी और कलकत्ता में स्थापित किए जाएँगे। इनके अलावा उन क्षेत्रों में उपकेन्द्र खोले जाएँगे, जहाँ हथकरघों पर विशेष बुनाई का कपड़ा तैयार किया जाता है। इस प्रकार का एक उपकेन्द्र मद्रास राज्य के कांचीपुरम् स्थान में खोला जाएगा।

भारत सरकार ने बम्बई केन्द्र के लिए १ लाख २७ हज़ार रुपए की राशि स्वीकार की है। मद्रास में प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने के लिए भी इतनी ही राशि स्वीकार की है। कांचीपुरम में उपकेन्द्र खोलने के लिए ३५ हज़ार रुपए की राशि स्वीकार की गई है।

कल्याण कार्यक्रमों का समन्वय

१९५७-५८ में विभिन्न राज्यों में लगभग १०० सामुदायिक विकास खण्डों में स्त्रियों, बच्चों और अशक्त लोगों के लिए चालू कल्याण-सेवाओं के समन्वय का कार्यक्रम शीघ्र लागू किया जाएगा। सामुदायिक विकास मन्त्रालय ने १० राज्यों द्वारा चुने गए ऐसे ७४ खण्डों की सूची केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल को दी है।

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल ने इस कार्यक्रम को लागू करने के विषय में राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डलों को विस्तृत आदेश दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि नई कल्याण-योजना केवल उन सामुदायिक विकास खण्डों में चालू की जाए जहाँ इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रत्येक नए योजना केन्द्र में १३-१३ सदस्यों की समितियाँ स्थापित की जाएँगी जो इस योजना को चालू करने का काम करेंगी। ये योजना समितियाँ विकास खण्ड के अन्तर्गत आनेवाले ग्रामों का सर्वे करेंगी और यह तय करेंगी कि स्त्रियों, बच्चों और अशक्त लोगों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए जाएँ। ये समितियाँ इन कार्यक्रमों का ३ साल का बजट भी तैयार करेंगी।

इन क्षेत्रों में कल्याण-कार्य के लिए १० ग्राम-सेविकाएँ, २ शिल्प-शिक्षक, ८ बालवाड़ी अध्यापक और ४ दाइयाँ रहेंगी। विकास खण्ड के जच्चा-केन्द्र की ४ दाइयाँ भी कल्याण कार्यक्रम के लिए उपलब्ध होंगी। प्रत्येक विकास खण्ड को १४ केन्द्रों में बाँटा जाएगा और उपर्युक्त कार्यकर्त्ताओं को इस प्रकार बाँटा जाएगा कि प्रत्येक केन्द्र में इनमें से दो व्यक्ति उपलब्ध होंगे।

योजना को चालू करने वाली समिति का अध्यक्ष, कलक्टर और खण्ड-विकास अधिकारी से निकट सम्पर्क रखेगा और उनसे विचार-विमर्श करने के बाद कार्यक्रम तैयार करेगा।

प्रत्येक विकास-खण्ड पर अगले ३ वर्षों में १ लाख ३२ हज़ार ८४० रुपए व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार प्रत्येक नई कल्याण-योजना पर लगभग ४४ हज़ार रुपए व्यय होगा। इसमें से ३,५०० रुपए, जो समाज सेवा संगठकों का वेतन और भत्ता होगा, सामुदायिक विकास बजट में से दिया जाएगा। शेष व्यय में से १३ हज़ार रुपए सामुदायिक विकास मन्त्रालय, १८ हज़ार रुपए केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल और ६ हज़ार रुपए सम्बद्ध राज्य सरकार देगी।

२७,४१६ ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण सम्पन्न

२८ फरवरी, १९५७ तक २७,४१६ ग्राम सेवकों को सामुदायिक विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की शिक्षा दी गई। इस समय १०,०३४ और ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रशिक्षित ग्राम सेवकों में १८,०९१ विस्तार कर्मचारी और ८,९३३ बुनियादी कर्मचारी थे; प्रशिक्षण पानेवालों में ५,४६४ विस्तार कर्मचारी और ४,०९३ बुनियादी कर्मचारी थे।

२८ फरवरी, १९५७ तक २,२६५ व्यक्तियों को सामूहिक कार्य की शिक्षा दी गई और १८६ का सिखाना जारी था। इस अवधि तक १३० कारीगर तैयार हो चुके थे और १५९ सीख रहे थे।

३१ मार्च, १९५७ तक २,२४१ समाज शिक्षा संगठक तैयार किए जा चुके थे और ५१५ का प्रशिक्षण जारी था। प्रशिक्षितों में १,५३७ पुरुष, ६३४ स्त्रियाँ और ७० आदिमजाति के थे। प्रशिक्षण पानेवालों में ३६० मर्द और १३६ औरतें थीं।

३१ मार्च, १९५७ तक ८९० विस्तार अफ़सर प्रशिक्षित किए गए, जिनमें ६०५ को सहकारिता और २८५ को उद्योग का काम सिखाया गया था। प्रशिक्षण पानेवालों में ३०८ सहकारिता और २२५ उद्योगों का काम सीख रहे थे। इसी अवधि तक १,३५७ खण्ड विकास अधिकारी और ९८० स्वास्थ्य कर्मचारी भी प्रशिक्षित किए गए।

देश में धान की उपज का नया रिकार्ड

खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय के अर्थ व अंक संकलन निर्देशालय के अनुसार १९५६-५७ में धान के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन में फसल का क्षेत्रफल ७,८१,७४,००० एकड़ आँका गया है और उपज २,८१,४२,००० टन होने का अनुमान है। १९५५-५६ के आंशिक रूप से संशोधित अन्तिम प्राक्कलन के अनुसार, धान की फसल का क्षेत्रफल ७,६८,६४,००० एकड़ और उपज २,६८,४६,००० टन आँकी गई थी। इससे यह ज्ञात होता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष क्षेत्रफल में १३,१०,००० एकड़ या १.७ प्रति शत तथा उपज में १२,९६,००० टन या ४.८ प्रति शत की वृद्धि हुई है।

इस वर्ष धान की उपज के बारे में विभिन्न राज्यों के आँकड़े देखने से यह ज्ञात होता है कि सब से ज्यादा वृद्धि बिहार में हुई जहाँ पिछले वर्ष ३४,४५,००० टन धान पैदा हुआ था और इस वर्ष ३८,८५,००० टन पैदा हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि ४,४०,००० टन की वृद्धि हुई। मध्यप्रदेश का स्थान दूसरा है। वहाँ इस वर्ष ३२,४६,००० टन धान पैदा हुआ, जबकि पिछले साल २८,७३,००० टन पैदा हुआ था, जो २,७३,००० टन की वृद्धि का परिचायक है। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष ४३,३५,००० टन उपज हुई, जबकि पिछले वर्ष ४१,४६,००० टन हुई थी। इस प्रकार वहाँ १,८९,००० टन अधिक उपज हुई।

★

योजना

गत २६ जनवरी से भारत सरकार "योजना" नाम से हिन्दी में एक पत्रिका प्रकाशित कर रही है। इसका उद्देश्य गाँवों और शहरों, बच्चों और बूढ़ों, लड़कियों और युवतियों में भारत के नव-निर्माण का सन्देश पहुँचाना और साथ ही जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना है। "आपकी राय" स्तम्भ में जनता की आवाज़ गूंज रही है, भले ही वह लाल फीता और नौकरशाही के विरुद्ध जाए।

देखिए किन शब्दों में प्रतिष्ठित हिन्दी पत्रों ने हिन्दी "योजना" का स्वागत किया है :

साप्ताहिक प्रताप––"सरकारी प्रकाशन होते हुए भी 'योजना' जनसेवा में अपना स्थान बना सकेगी, ऐसी आशा की जाती है।"

अमृत पत्रिका––"इस पाक्षिक पत्र को अब से बहुत पहले ही प्रकाशित कर देना चाहिए था।"

उजाला––"प्रकाशन सराहनीय और विषय की आवश्यकता देखते हुए बहुत संवर्धनीय है।"

संसार––"हम इस कल्याणकारी पत्र को उन्नति की कामना करते हैं और चाहते हैं कि शीघ्र ही इसका प्रकाशन साप्ताहिक रूप में हो। इसमें चित्र भी पर्याप्त रहते हैं और छपाई सफाई सुन्दर।"

अमर ज्योति–"पत्र को वर्तमान सामग्री से उसका भविष्य उज्ज्वल दीखता है। वह जिस उद्देश्य व ध्येय को लेकर चला है वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है।"

भारतीय श्रमिक––"कलात्मक चित्रों और कार्टूनों से अंक और भी सम्पूर्ण हो गया है। कुल मिलाकर अंक रेखा और संगीत दोनों ही दृष्टि से बहुत ही सम्पूर्ण है। सम्पादक बधाई स्वीकारें।"

यह भारतीय उन्नति का प्रतीक है। साहित्य और आलोचना भी छपती है।

हमारे लेखकों में **वृन्दावनलाल वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रांगेय राघव, नागार्जुन, सत्यकेतु विद्यालंकार, खुशवन्तसिंह, मन्मथनाथ गुप्त, सत्यदेव विद्यालंकार** आदि हैं। हर अंक में बीसियों चित्र होते हैं।

आज ही ग्राहक बनिए। एक प्रति के दो आने और वार्षिक मूल्य २॥) रु०। अपने पुस्तक-विक्रेता से माँगें या लिखें :––

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली–८

बालोपयोगी रोचक साहित्य

	मूल्य	डाक-व्यय
जातक कथाएँ—भाग-१	०·७५	०·२५
भाग–२	१·००	०·२५
सरल पंचतन्त्र—भाग–३	०·३५	०·१२
भाग–४	०·३५	०·१२
भाग–५	०·३५	०·१२
गौतम बुद्ध	०·०५	०·०६
प्रयाग दर्शन	०·२५	०·१२
भारत की कहानी	०·७५	०·१६
जवाहरलाल नेहरू के भाषण भाग–३, ५, ६,	०·०५ प्रत्येक	०·०६ प्रत्येक
आदर्श विद्यार्थी बापू	०·३५	०·१२
नये सिक्के	०·२५	०·१२
सरल पंचवर्षीय योजना	०·५०	०·१२
हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना	०·३५	०·१२
मनोरंजक कहानियाँ	१·००	०·२५
भारतीय वास्तु-कला के ५००० वर्ष	२ ००	०·३०
भारत के बौद्ध-तीर्थ	२·००	०·३०

दस रुपये या इससे अधिक के आर्डर पर डाक-व्यय नहीं लिया जायगा।
पोस्टल आर्डर द्वारा रुपया प्राप्त होने पर सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य अथवा सीधा लिखें—

बिज़िनेस मैनेजर

पब्लिकेशन्स डिवीज़न

ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली–८

Printed at the Albion Press, Kashmere Gate, Delhi 6, and Published on behalf of Ministry of Community Development by the Publications Division, Delhi—8

Regd. No.D. 28